[2018] 14 एस सी आर 239

भारत का संघ

वी.

नरेशकुमार बद्रीकुमार जगद और ओआरएस।

(समीक्षा याचिका (सी) 2013 की डायरी संख्या 40966)

आईएन

2011 की सिविल अपील सं. 7448

नवंबर 28,2018

[कुरियन जोसेफ और ए. एम. खानविलकर, जे. जे.]

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2014-एस. एस. 5,6,7,8 - का प्रभाव-मूल सूट भूमि

मालिकों ने 99 वर्षों के लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया जो 21.10.1990 पर समाप्त होना था-संपत्ति पर एक कपास मिल रखने के लिए एक संरचना बनाई गई थी-इसके बाद, संपत्ति को एक सार्वजनिक धर्मार्थ में निहित किया गया था।

न्यास और प्रत्यर्थी उक्त न्यास के वर्तमान न्यासी हैं-पट्टा की अनिर्णित अवधि के अवशेष के लिए सूट भूमि 'पी' मिल्स को पट्टे पर दी गई थी-कपड़ा उपक्रम अधिनियम, 1983 को 'पी' मिल्स सहित कपड़ा उपक्रमों के प्रबंधन को संभालने के लिए अधिनियमित किया गया था, उनका राष्ट्रीयकरण होने तक-'पी' मिल्स के पक्ष में दिया गया पट्टा समय के प्रवाह से समाप्त हो गया, हालांकि, इसने बॉम्बे रेंट, होटल और लॉजिंग हाउस रेट कंट्रोल एक्ट, 1947 के संदर्भ में एक संरक्षित या वैधानिक किरायेदार के रूप में सूट संपत्ति पर कब्जा करना जारी रखा-न्यास ने अपीलकर्ता को एक कानूनी नोटिस जारी किया-राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड (एन. टी. सी.) ने अपनी किरायेदारी को समाप्त करते हुए सूट संपत्ति-कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) को समाप्त कर दिया।

पूर्वव्यापी रूप से पक्षों की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है

कानूनी कल्पना द्वारा 01.04.1994 से प्रभावी मुकदमा संपत्ति, जिसके परिणामस्वरूप एन. टी. सी. के खिलाफ कार्रवाई का कारण जैसा कि में संदर्भित है

विषय मुकदमा अस्तित्वहीन हो गया था-आयोजितः 1995 के अधिनियम की धारा 3 में 2014 के अधिनियम के आधार पर संशोधन किया गया है-अब, संशोधित धाराओं के अनुसार। 3 1995 के अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1994 के अनुसार, कानून के संचालन द्वारा मुकदमा संपत्ति के संबंध में 'पी' मिलों के वैधानिक या संरक्षित किरायेदारी अधिकार केंद्र को हस्तांतरित किए गए और निहित किए गए

सरकार और उसका इसमें निहित होना जारी है और एन. टी. सी. द्वारा दिए गए वचन सहित एन. टी. सी. के खिलाफ आदेश दिया गया है।

एक कानूनी कल्पना द्वारा अप्रवर्तनीय प्रस्तुत किया गया-परिणामस्वरूप, न्यास, मकान मालिक होने के नाते, केंद्र सरकार (भारत संघ) के खिलाफ समाधान का सहारा लेने के लिए बाध्य है ताकि संबंधित व्यवस्था में निर्दिष्ट मुकदमे की संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त किया जा सके। किराया विधान-कपड़ा उपक्रम अधिनियम, 1983-बॉम्बे किराया, होटल और आवास घर दर नियंत्रण अधिनियम, 1947-कपड़ा

उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 - एस. 3-महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 - s.111।

समीक्षा-कार्यवाही के लिए तीसरे पक्ष का उपाय-आयोजितः सी. पी. सी. के s.114 और Or.XLVII में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो खुद को पीड़ित समझता है, वह समीक्षा याचिका दायर कर सकता है-इसके अलावा, न तो सी. पी. सी. के Or.XLVII और न ही सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के Or.XLVII ने समीक्षा के उपचार को केवल समीक्षा के तहत निर्णय के पक्षों तक सीमित कर दिया है-इसलिए, कार्यवाही के लिए कोई तीसरा पक्ष भी, अगर वह खुद को पीड़ित मानता है। व्यथित व्यक्ति, पुनरीक्षण याचिका के समाधान का सहारा ले सकता है-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - s.114 और Or.XLVII-सुप्रीम कोर्ट के नियम-Or.XLVII।

बद्रीकुमार जगद और अन्य। (2011) 12 एससीसी 695: [2012] 14 एस. सी. आर. 472; राजा शत्रुंजी बनाम। मोहम्मद अजमल अजीम खान और अन्य। (1971) 2 एससीसी 200: [1971] पूरक। एस. सी. आर. 433; एस. बागीरथी अम्मल बनाम। पलानी रोमन कैथोलिक मिशन (2009) 10 एससीसी 464: [2007] 12 एससीआर 1050 भारत संघ बनाम संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड और ओआरएस। (2013) 8 एस. सी. सी. 337 [2013] 2 एस. सी. आर. 1045; चैंप्से भरा एंड कंपनी बनाम। जीवराज बल्लू स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड (1923) खंड। एल (आई. ए.) 324; बी. अरविंद कुमार बनाम सरकार. भारत और अन्य (2007) 5 एस. सी. सी. 745; श्री चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड बनाम। चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन सी. एस. आई. सिनोद

सचिवालय, मद्रास (1992) 3 एससीसी 1: [1992] 2 एससीआर 999 ; भूलचंद और एक अन्य वी।

के पी सी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नरेशकुमार बद्रीकुमार जाग

निवेश और एक और (1991) 1 एस. सी. सी. 343: [1990] 2

पूरक। एस. सी. आर. 251; तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य

(यूओआई) और ओआरएस। (1978) 2 एससीसी 50 [1978] 3 एससीआर 334; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्य। वी. ब्रोच

बरो नगरपालिका और ओआरएस। (1969) 2 एससीसी 283:

[1970] 1 एससीआर 388; टी. सुधाकर प्रसाद बनाम। सरकार. में से

ए. पी. और अन्य। (पैराग्राफ संख्या। 9 से 22) (2001) 1 एस. सी. सी.

516 [2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. 610; दृढ़ गणपत राम

राजकुमार बनाम। कालू राम और ओआरएस। (पैराग्राफ संख्या। 5 और

6) (1989) सप. (2) एससीसी 418: [1989] पूरक। एससीआर 223;

नूराली बाबुल थानेवाला बनाम। के. एम. एम. शेट्टी और अन्य।

(1990) 1 एससीसी 259: [1989] 2 पूरक। एससीआर 561; कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल और Ors.v। जीना।

मीडिया इंडिया लिमिटेड और अन्य। (2012) 3 एससीसी 563: [2012] 1

एस. सी. आर. 1045-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 14 एससीआर 472

संदर्भित किया गया है

पैरा

1

[1971] पूरक। एससीआर 433

संदर्भित किया गया है

पैरा

26

[2007] 12 एससीआर 1050

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[2013] 2 एससीआर 1045

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

संदर्भित किया गया है

(1923) खण्ड. एल (आई. ए.) 324

पैरा

29

(2007) 5 एस. सी. सी. 745

संदर्भित किया गया है

पैरा

44

[1992] 2 एससीआर 999

संदर्भित किया गया है

पैरा

46

[1990] 2 पूरक। एससीआर 251

संदर्भित किया गया है

पैरा

47

[2014] 12 एससीआर 875

संदर्भित किया गया है

पैरा

50

[1978] 3 एससीआर 334

संदर्भित किया गया है

पैरा

50

[1970] 1 एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

पैरा

50

[2000] 5 पूरक। एससीआर 610

संदर्भित किया गया है

पैरा

52

[1989] 1 पूरक। एससीआर 223

संदर्भित किया गया है

पैरा

52

1989] 2 पूरक। एससीआर 561

संदर्भित किया गया है

पैरा

52

[2012] 1 एससीआर 1045

संदर्भित किया गया है

[2018] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: पुनरीक्षण याचिका (सी)

2013 की डायरी संख्या 40966। 2011 की सिविल अपील संख्या 7448 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 05.09.2011 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2011 की सिविल अपील में 2018 का एम. ए. No.2714 और 2011 की सिविल अपील में 2014 की अवमानना याचिका (सी) No.7448।

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., शेखर नाफड़े, मनिंदर सिंह, मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संजय घोष, कौस्तुभ अंशुराज, अभिकल्प प्रताप सिंह, प्रतीक रूसिया, सुश्री अशिता चावला, संजय घोष, कौस्तुभ अंशुराज, महेश अग्रवाल, सुश्री हीना छेड़ा, गौरव मेहता, ऋषभ वोरा, अभिनव अग्रवाल, अंशुमन श्रीवास्तव, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री बी. सुनीता राव, अनुराग, श्रीकांत एन. तेरदल, ए. के. कौल, राज बहादुर, सुश्री अनिल कटियार, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, हेमंत आर्य, चाकितन विक्रम शेखर पापटा, सुश्री सुषमा वर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

1. भारत संघ ने इस समीक्षा याचिका को दायर किया है जिसमें समीक्षा की मांग की गई है

इस न्यायालय द्वारा 5 सितंबर, 2011 को 2011 की सिविल अपील No.7448 में पारित निर्णय और आदेश: राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड बनाम नरेशकुमार बद्रीकुमार जगद और अन्य। 1 1 उसी समय, अपीलार्थी राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (संक्षेप में "एन. टी. सी".) ने समय बढ़ाने सहित निर्देशों के लिए एक आवेदन दायर किया है। जबकि,

उत्तरदाता सं। 1 पुनरीक्षण याचिका में 6 तक (संक्षिप्त में "उत्तरदाताओं" के लिए) जो उपरोक्त दीवानी अपील में 6 तक प्रतिवादी थे, उन्होंने अपीलार्थी एनटीसी के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अवमानना याचिका दायर की है। समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान, कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधता) अध्यादेश, 2014 शीर्षक से एक अध्यादेश जारी किया गया था, जो बाद में कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधता) बन गया। वैधीकरण) अधिनियम, 2014 (संक्षेप में "वैधीकरण अधिनियम 2014"), जिसके परिणामस्वरूप भारत संघ ने समीक्षा याचिका में अतिरिक्त आधारों का आग्रह करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। चूंकि

इन कार्यवाहियों में तय किए जाने वाले मुद्दे अतिव्यापी हैं, इसलिए हम इस सामान्य आदेश द्वारा उनसे निपटने का प्रस्ताव करते हैं।

1 (2011) 12 एस. सी. सी. 695 भारत संघ बनाम।

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

2. संक्षेप में कहा गया है कि लोअर परेल के सर्वेक्षण No.73 में प्लॉट संख्या 9 वाली 12118 वर्ग गज भूमि पर विचाराधीन संपत्ति।

डिवीजन, एन. एम. जोशी मार्ग, चिंचपोकली, मुंबई, मूल रूप से दामोदर तापिदास और दयाभाई तापिदास से संबंधित था। उन्होंने 11 मार्च, 1893 को एक होप मिल्स लिमिटेड के पक्ष में एक पट्टा विलेख निष्पादित किया। उनका निधन 99 वर्षों के लिए 21 अक्टूबर, 1990 को समाप्त हो रहा था। संपत्ति पर एक कपास मिल रखने के लिए एक संरचना बनाई गई थी। मूल सूट भूमि मालिकों ने 22 फरवरी, 1907 को एक बिक्री विलेख द्वारा उक्त भूमि को बेच दिया और हरिचंद रूपचंद को सौंप दिया। हरिचंद रूपचंद की वसीयत के अनुसार, संपत्ति सेठ हरिचंद रूपचंद चैरिटेबल ट्रस्ट (संक्षेप में "ट्रस्ट") के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट में निहित है। प्रत्यर्थी उक्त न्यास के वर्तमान न्यासी हैं। लीजहोल्ड अधिकार तब होप मिल्स लिमिटेड से प्रॉस्पेक्ट मिल्स लिमिटेड को और उसके बाद डायमंड स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी प्राइवेट को हस्तांतरित कर दिए गए। लिमिटेड 25 अक्टूबर, 1926 को पट्टे के एक अनुबंध द्वारा, संपत्ति, अर्थात्, उक्त भूमि और उस पर संरचनाओं को, 22 अक्टूबर, 1891 से शुरू होने वाली 99 वर्षों की पट्टे की अप्राप्त अवधि के अवशेषों के लिए टोयो पोदार कॉटन मिल्स लिमिटेड (जिसका नाम बाद में बदलकर पोदार मिल्स लिमिटेड कर दिया गया) कर दिया गया था, जो 11 मार्च, 1893 के मूल पट्टा विलेख के समान नियमों और शर्तों के अधीन था।

बॉम्बे रेंट, होटल एंड लॉजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल एक्ट, 1947 (संक्षेप में "1947 एक्ट") के संदर्भ में एक संरक्षित या वैधानिक किरायेदार के रूप में सूट संपत्ति पर कब्जा करना जारी रखा। ट्रस्ट ने 2 दिसंबर, 1994 को एन. टी. सी. को एक कानूनी नोटिस जारी किया जिसमें मुकदमे की संपत्ति के रूप में इसकी किरायेदारी को समाप्त कर दिया गया। संसद ने कपड़ा उपक्रमों को अधिनियमित किया (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में "1995 अधिनियम"), जिसे 1 अप्रैल, 1994 को लागू माना गया था।

4. 18 जुलाई, 1995 को ट्रस्ट (उत्तरदाताओं/न्यासियों के माध्यम से) ने पोद्दार के खिलाफ टीईआर सूट 680/1568/1995 होने के कारण बेदखली का मुकदमा दायर किया। मिल्स लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1), एन. टी. सी. (प्रतिवादी संख्या 2) और भारत संघ (प्रतिवादी संख्या 3) 1947 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत। उक्त मुक़दमे में दावा की गई राहत इस प्रकार है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए वादी प्रार्थना करते हैं कि:

(क) प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को आदेश दिया जाए और लोअर परेल डिवीजन के सूट प्लॉट संख्या 9, कैडस्ट्रल सर्वे No.73 के शांत, खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को छोड़ने, खाली करने और सौंपने का आदेश दिया जाए।

दलीयों के लिए डेलिस्ले रोड, (अब एन. एम. जोशी मार्ग के रूप में जाना जाता है), बॉम्बे-400011 पर स्थित;

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश दिया जाए और वाद की तारीख से डिक्री तक वादी को रुपये की दर से वास्तविक लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। 128.75 प्रति माह, और डिक्री पारित होने के बाद मामले में जांच करने का निर्देश दिया जाए और ऐसी अन्य दर 170, बाजार में प्रचलित दर पर, वादी को कब्जा सौंपने तक देय मेसन लाभ के रूप में निर्धारित की जाए;

(ग) कि वाद की सुनवाई और अंतिम निपटान तक प्रतिवादी संख्या 2 उनके सेवकों, अभिकर्ताओं और प्रतिनिधियों को इस माननीय न्यायालय के आदेश और निषेधाज्ञा द्वारा स्थायी प्रकृति के परिवर्धन, परिवर्तन और/या निर्माण या वाद भूमि में या उस पर अपशिष्ट के कार्यों को करने से रोका जाए। , प्लॉट संख्या 9, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण No.73 का डेलिस्ले रोड, (अब एन. एम. जोशी मार्ग के रूप में जाना जाता है), बॉम्बे-400011 में स्थित लोअर परेल डिवीजन;

(घ) कि वाद की सुनवाई और अंतिम निपटान तक कि प्रतिवादी संख्या 2 उनके सेवकों, अभिकर्ताओं और प्रतिनिधियों को इस माननीय न्यायालय के एक आदेश और स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा वाद परिसर में अपने हित को उप-पट्टा देने और/या स्थानांतरित करने या उसके संबंध में अनुमति और लाइसेंस बनाने या उसमें या किसी अन्य तरीके से किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने से रोका जाए।

इस सूट का; (च) कि प्लॉट नंबर 9, कैडस्ट्रल होने के कारण सूट परिसर का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए एक योग्य और उचित व्यक्ति को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाए।

डेलिस्ले रोड पर स्थित लोअर परेल डिवीजन का सर्वेक्षण No.73, (अब एन. एम. जोशी मार्ग के रूप में जाना जाता है), बॉम्बे-400011 और वर्तमान स्थिति और स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट बनाना और देना

सूट भूमि और उस पर खड़ी संरचनाएँ; भारत बनाम।

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

(छ) वाद परिसर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए;

(ज) इस सूट की लागत के लिए;

ऐसे अन्य और आगे के आदेश के लिए जो न्यायसंगत और उचित हो और आवश्यक; "

26 अगस्त, 2002 को गैर-अभियोजन के लिए मुकदमा खारिज कर दिया गया था।5. न्यास (प्रत्यर्थियों/न्यासियों के माध्यम से) ने निम्नलिखित राहतों के लिए भारत के कपड़ा मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या 1), एन. टी. सी. (प्रतिवादी ओ और पोदार मिल्स लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 3) पर उन्हीं पक्षों के खिलाफ आर. ए. डी. मुकदमा No.955/97 होने के कारण 1997 में एक और मुकदमा दायर किया:

" खिलाड़ी आगे प्रार्थना करते हैं:

ए. यह घोषित किया जाए कि ऑफलक्स द्वारा पट्टे की अवधि समाप्त होने पर

22.10.1990 पर प्रतिवादी संख्या 3 के पास समय था

प्लॉट संख्या 9 होने के कारण वाद संपत्ति के संबंध में परिसर और/या कानून के संचालन से वादी का वैधानिक किरायेदार बन जाता है,

कैडास्ट्रल सर्वेक्षण लगभग 12,118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यार्ड्स

डेलिस्ले रोड पर स्थित सभी इमारतों के साथ, जिसे अब एन. एम. जोशी मार्ग, बॉम्बे-400011 के नाम से जाना जाता है।

ख. यह घोषित किया जाए कि नियत दिन यानी 1 अप्रैल, 1995 को। प्रतिवादी संख्या 1 ने किरायेदारी के अधिकार हासिल कर लिए थे

प्रतिवादी संख्या 3, और जो प्रतिवादी संख्या 2 में निहित है वह है

प्रतिवादी संख्या 3 और इस तरह के प्रतिवादी की वैधानिक किरायेदारी

दावा करने और/या उनसे कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार अधिग्रहण के लिए प्रतिवादी संख्या 1 और/या प्रतिवादी संख्या 2

और/या उनके वैधानिक किरायेदारी अधिकार को प्रतिवादियों में निहित करना।

नं. 1।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घ. कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को अनुसूची 1 मद में उल्लिखित भुगतान के विस्तृत विभाजन को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। 1995 के उक्त अध्यादेश 6 की सं. 4.

ई. कि प्रतिवादी संख्या 1 को भी ऐसा करने से रोका जाए

प्रतिवादी संख्या 3 की सीमा तक भुगतान, पट्टा अधिकार, स्वामित्व और सूट संपत्ति में ब्याज का आरोप लगाते हैं जो प्लॉट संख्या 9, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण No.73 है, जो लगभग 12,118 वर्ग किलोमीटर भूमि है। डेलिस्ले रोड, जिसे अब एन. एम. जोशी मार्ग, बॉम्बे-400011 के नाम से जाना जाता है, पर स्थित सभी इमारतों के साथ यार्ड, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 और/या संख्या 2 द्वारा तय किया गया था, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने केवल वैधानिक अधिग्रहण किया था।

उस पर किरायेदारी के अधिकार।

च. यह घोषित किया जाए कि वादी के वैधानिक किरायेदार के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को हस्तांतरण, बंधक, बिक्री और/या अन्यथा निपटान और/या मुकदमे के वादों में किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि प्लॉट संख्या 9, कैडस्ट्रल सर्वे No.73, लगभग 12,118 वर्ग किलोमीटर भूमि है। डेलिस्ले रोड पर स्थित सभी इमारतों के साथ यार्ड, जिसे अब एन. एम. के नाम से जाना जाता है।

जी. अंतरिम और एड-प्रार्थनाओं के संदर्भ में अंतरिम राहत (डी) से (एफ) दिया गया।

एच. लागत और कोई अन्य और ऐसी राहत इस माननीय के रूप में प्रदान की जाए।

न्यायालय उचित और उचित समझ सकता है।'

अंततः 22 दिसंबर, 2004 को मुकदमा वापस ले लिया गया।6. 1947 के अधिनियम को महाराष्ट्र किराया नियंत्रण 1999 (संक्षेप में "1999 अधिनियम") द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ट्रस्ट ने 26 सितंबर, 2000 के नोटिस के माध्यम से एन. टी. सी. की किरायेदारी को समाप्त करने के लिए एक नोटिस जारी किया। न्यास (प्रत्यर्थियों/न्यासियों के माध्यम से) ने 20 अप्रैल को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के तहत केवल अपीलार्थी के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर किया. बॉम्बे के लघु कारण न्यायालय में राहत देने के लिए टीईआर 311/326/01 होने के कारण:

(क) कि प्रतिवादियों को आदेश दिया जाए और सूट परिसर के खाली शांतिपूर्ण कब्जे को खाली करने और वादी को सौंपने का आदेश दिया जाए, यानी परिसर लगभग 12,118 वर्ग मीटर की इमारत के साथ भूमि है। यार्ड (10131.85 वर्ग मीटर के बराबर) असर प्लॉट संख्या 9, भारत के निचले परेल प्रभाग का कैडस्ट्रल सर्वेक्षण No.73 v.

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

डेलिस्ले रोड पर स्थित, जिसे अब एन. एम. जोशी मार्ग के नाम से जाना जाता है,

चिंचपोकली, बॉम्बे-400011;

(ग) वाद की सुनवाई और स्वयं प्रतिवादी, उनके अभिकर्ताओं, अधिकारियों, सेवकों द्वारा अंतिम निपटान होने तक, इस माननीय न्यायालय के आदेश और निषेधाज्ञा द्वारा किसी भी कार्य या भाग के तहत वाद परिसर के कब्जे या कब्जे के साथ अलग होने से रोका जाए। उसमें किसी भी तीसरे पक्ष को शामिल करने का कोई भी तरीका;

(घ) वाद की सुनवाई और अंतिम निपटान तक आदेश के तहत सभी शक्तियों के साथ कुछ उपयुक्त और उचित व्यक्ति को प्राप्तकर्ता नियुक्त किया जाए।

40 सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 4 का प्रभार संभालने के लिए

सूट परिसर;

(ङ) मुकदमे की सुनवाई और अंतिम निपटारे तक प्रतिवादियों को वादी को नुकसान/समान रूप से लाभ के रूप में 7 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया जाए।

प्रति माह लाख, उक्त राशि के समायोजन के अधीन जब हर्जाना/अन्य लाभ अंततः माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(च) प्रार्थना के संदर्भ में अंतरिम और विज्ञापन-अंतरिम राहत (ग), (घ) और

(ई) ऊपर;

(ज) ऐसी अन्य और आगे की नक्काशियों के लिए जैसे प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को मंजूर करने की आवश्यकता हो सकती है।

7. अपीलार्थी एन. टी. सी. ने वादी की याचिकाओं को खारिज करते हुए अपना लिखित बयान दायर किया। 5 अगस्त, 2006 के फैसले और डिक्री के माध्यम से एन. टी. सी. को चार महीने के भीतर वादी को खाली और शांतिपूर्ण कब्जा ई-सूट परिसर सौंपने का निर्देश दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. पीड़ित होते हुए, अपीलार्थी एन. टी. सी. ने 13 नवंबर, 2006 को बॉम्बे में लघु कारण न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 2006 की अपील संख्या 627 को प्राथमिकता दी, जिसे अपीलीय अदालत ने 14 अगस्त, 2008 के फैसले और डिक्री के माध्यम से निचली अदालत के फैसले और डिक्री की पुष्टि करके खारिज कर दिया था। अपीलार्थी ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष नागरिक संशोधन को प्राथमिकता दी, जिसे 3 अगस्त, 2009 के निर्णय और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

9. व्यथित होकर, एन. टी. सी. ने एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर हमला किया 2011 की सिविल अपील में परिवर्तित, जिसे 5 सितंबर, 2011 को खारिज कर दिया गया। यह निर्णय तीसरे पक्ष के रूप में भारत संघ द्वारा 20 दिसंबर, 2013 को दायर समीक्षा याचिका का विषय है। भारत संघ द्वारा आग्रह किया गया प्रमुख आधार यह है कि अधिकार,

1995 के अधिनियम की धारा 3 (1) के आधार पर वाद संपत्ति में स्वामित्व और हित पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित था। फिर भी, ट्रस्ट द्वारा दायर कब्जे के विषय मुकदमे में, भारत संघ को एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। विशेष रूप से, ट्रस्ट ने 1947 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत बेदखली सहित दायर किए गए पिछले दोनों मुकदमों में भारत संघ को एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया था। वह पूर्व-अनुमान

कि प्रत्यर्थी पूरी तरह से केंद्र सरकार के पक्ष में किरायेदारी के वैधानिक निहित होने के प्रभाव से अवगत थे।

10. जैसा कि ऊपर बताया गया है, समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान, वैधीकरण अधिनियम 2014 लागू हुआ, जिससे भारत संघ को

उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में, लंबित समीक्षा याचिका में अतिरिक्त आधार का आग्रह करने के लिए एक आवेदन लें।

12. खाली करने का समय समाप्त होने से पहले, एन. टी. सी. ने मुकदमा परिसर का कब्जा सौंपने के लिए समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया। 23 आवेदन में बताए गए कारणों के लिए दिसंबर, 2013। इस न्यायालय ने 31 जनवरी, 2014 के आदेश के माध्यम से उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और खाली करने का समय 30 जून, 2014 तक बढ़ा दिया। एन. टी. सी. ने 31 जनवरी, 2014 के आदेश के अनुपालन में भारत संघ की मंजूरी के साथ 24 मार्च, 2014 को एक नया वचन पत्र दायर किया।

13. एन. टी. सी. ने खाली करने के समय की समाप्ति से पहले 27 जून, 2014 को एक नया आवेदन दायर किया है, जो 2014 का आई. ए. संख्या 6 है और निर्देश और निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करता है:

" प्रार्थनाएँ:

(ख) यह कि यह माननीय न्यायालय उक्त वाद भूमि पर खड़ी इमारत संरचना के संचालन के संबंध में माननीय लघु कारण न्यायालय के दिनांकित आदेश को घोषित करने के लिए प्रसन्न हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इमारतों को मुफ्त में सौंप दिया जाना है या कि प्रतिवादी न्यास उसमें मालिक है; (ग) कि
किसी भी स्थिति में यह माननीय न्यायालय लघु मामले न्यायालय के दिनांकित आदेश में परिवर्तन कर सकता है-जितना वह भवन को सौंपने का निर्देश देता है-जितना कहा गया है।

आदेश का अनुपालन असंभव है क्योंकि उप की प्रक्रिया में डिवीजन, प्रतिवादी की भूमि पर संरचनाओं के साथ-साथ आवेदक की भूमि भी ध्वस्त हो जाएगी;

(घ) कि यह माननीय न्यायालय निर्देश दे सकता है -

प्रत्यर्थी न्यास आवेदनकर्ताओं को बाजार दर/ध्वस्त संरचना के मूल्य पर बचाव मूल्य का भुगतान करेगा प्रत्यर्थी को पट्टे पर दी
जाने वाली भूमि सौंपी जानी है।

(ई) कि यह माननीय न्यायालय अनुमति देने के लिए प्रसन्न हो सकता है और आवेदक को न्यायिक सौंपने की अनुमति देने वाला निर्देश भी जारी कर सकता है।

उत्तरदाता न्यास को बिना संभालने के अधिकार भूमि का सीमांकन होने तक भौतिक अधिकार

और संरचना को ध्वस्त कर दिया गया।

(च) ऐसा कोई अन्य आदेश पारित करें जो उचित और उचित समझा जाए।

14. प्रतिवादियों ने 20 तारीख को अवमानना याचिका दायर की है।

नवंबर, 2014 में एन. टी. सी. को सूट परिसर खाली करने और उन्हें शांतिपूर्ण और खाली कब्जा सौंपने के लिए दिए गए निर्देशों को लागू करना शामिल है। उनका आरोप है कि यह जानबूझकर अवज्ञा का मामला है और विशेष रूप से, एनटीसी और उसके अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गारंटी देने वाले संबंधित पक्ष द्वारा इस न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. प्रत्यर्थियों का तर्क होगा कि भारत संघ के पास 5 सितंबर, 2011 के इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। तब यह तर्क दिया जाता है कि 1995 के उद्देश्य के संबंध में समीक्षा याचिका में भारत संघ द्वारा आग्रह किए गए आधार

अधिनियम विशेष रूप से उठाए गए थे और उचित रूप से जवाब दिया गया था। दूसरा, यह तथ्य कि अब भारत संघ द्वारा समीक्षा याचिका के माध्यम से दावा किया गया है और जो तर्क एन. टी. सी. द्वारा समर्थित है, अर्थात्, पूर्ववर्ती पोदार मिल्स लिमिटेड की सूट संपत्ति में किरायेदारी अधिकार प्रबंधन के अधिग्रहण के बाद पूरी तरह से भारत संघ में निहित हैं।

एन. टी. सी. द्वारा समय का विस्तार और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थियों ने वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है और वे तर्क देंगे कि आयोग की रिपोर्ट उजागर करती है एन. टी. सी. द्वारा लिया गया रुख कि सूट परिसर का उपयोग अभी भी इसकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

श्री मनिंदर सिंह, एन. टी. सी. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और श्री मुकुल रोहतगी, श्री रंजीत कुमार और श्री श्याम दीवान, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील। 17. समीक्षाधीन निर्णय से यह देखा गया है कि समीक्षा याचिका में भारत संघ द्वारा आग्रह किए गए मुख्य आधार को सेवा में लगाया गया था

एनटीसी द्वारा। फैसले के पैराग्राफ 7 में, एन. टी. सी. की ओर से प्रचार किए गए तर्क को निम्नानुसार नोट किया गया है:

" 7. श्री पराग पी. त्रिपाठी, विद्वान अतिरिक्त महान्यायवादी,

निम्नलिखित न्यायालयों के आदेशों को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। निम्नलिखित न्यायालयों ने इसके प्रभाव को ध्यान में रखा है

1995 के अधिनियम के प्रावधान जिनके आधार पर कपड़ा उपक्रम

केंद्र सरकार में पूरी तरह से निहित था और आगे

अपीलार्थी में निहित। 99 वर्षों के पट्टे की समाप्ति पर 22-10-1990 पर, 1947 का अधिनियम लागू था, तत्कालीन किरायेदार, पोद्दार

मिल्स वैधानिक किरायेदार बन गई। इस तरह के किरायेदारी अधिकार थे केंद्र सरकार में पूरी तरह से निहित

कानून के संचालन द्वारा 1995 के अधिनियम का प्रारंभ। द. अपीलार्थी ने केंद्र सरकार के स्थान पर कदम रखा

केवल एक प्रतिनिधि के रूप में, इस प्रकार, केंद्र सरकार बनी रही

यह महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा है। प्रत्यर्थियों द्वारा दायर किया गया मुकदमा नहीं था बनाए रखने योग्य। न्यायालयों के निर्णय और फरमान निम्नलिखित हैं -

अलग रखे जाने योग्य "।

(जोर दिया गया)

18. इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वियों की दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि

एन. टी. सी. ने लिखित बयान में विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया था कि

किरायेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित थी और इसके परिणामस्वरूप, उस ओर से कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था और न ही निचली अदालत, अपीलीय अदालत या पुनरीक्षण अदालत के समक्ष कोई तर्क दिया गया था। उस तर्क को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में 1995 के अधिनियम के आवेदन के संबंध में अतिरिक्त आधार का आग्रह करने के लिए एक आवेदन के माध्यम से लिया गया था, जिसमें अभिवचनों (लिखित बयान) में संशोधन की मांग नहीं की गई थी। अदालत ने तब इस सवाल पर विचार किया कि क्या सरकार एक किरायेदार है या क्या एनटीसी को कहा जा सकता है

" 1999 के अधिनियम के संदर्भ में केंद्र सरकार का सरकार "या" सरकारी विभाग "या" अभिकर्ता "। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एन. टी. सी. को न तो "सरकारी" या "सरकारी विभाग" के रूप में

माना जा सकता है और न ही इसे केंद्र सरकार के "एजेंट" के रूप में माना जा सकता है। जबकि, एनटीसी को प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

केंद्र सरकार द्वारा नहीं, बल्कि 1995 के अधिनियम द्वारा। न्यायालय ने "निहित" अभिव्यक्ति के उद्देश्य पर भी विचार किया और नोट किया कि [2018] 14 एस. सी. आर.

सूट परिसर को पोद्दार मिल्स को किराए पर दिया था और पोद्दार मिल्स का वह अधिकार, स्वामित्व और हित और कुछ भी नहीं थानिर्णय समीक्षा के पैराग्राफ 42 और 43 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नलिखित शब्दों में एनटीसी के दावे को खारिज करता है:

इकाइयाँ और पर्यायवाची नहीं हैं। अपीलार्थी, जो न तो सरकार है और न ही सरकारी विभाग है, आंदोलन नहीं कर सकता है क्योंकि इसे केंद्र सरकार के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है और यह केवल केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इस प्रकार 1999 के अधिनियम का संरक्षण उसके लिए उपलब्ध है। अपीलार्थी को अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह कहने के लिए कि हालांकि सभी अधिकार इसमें निहित हैं, लेकिन यह केवल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बना रहा। इस तरह की स्वीकृति

प्रस्तुत करने के लिए "निहित" अभिव्यक्ति की व्याख्या की आवश्यकता होगी

नीचे दी गई किसी भी अदालत के समक्ष याचिका नहीं ली है। आदेश 8 नियम 2 सी. पी. सी. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता यह दिखाने के लिए एक विशिष्ट याचिका लेने के लिए बाध्य था कि मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था और वह ऐसा करने में विफल रहा। अस्पष्ट याचिका इस हद तक कि मुकदमा गैर-जॉइंडर के लिए बुरा था और इस प्रकार, नहीं था रखरखाव योग्य, कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। अपीलार्थी को लिखित बयान में एक याचिका लेनी चाहिए थी कि यह था

केवल केंद्र सरकार का एक "अभिकर्ता", इस प्रकार इसके खिलाफ मुकदमा विचारणीय नहीं था। इसके अलावा, क्या ए, बी का एजेंट है, यह तथ्य का सवाल है और इसे उचित तरीके से दलील दी जानी चाहिए और सबूत पेश करके साबित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी लेने में बुरी तरह विफल रहा

इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अभिवचन "।

19. इस सवाल पर लौटते हुए कि क्या भारत संघ का अधिकार है

पुनरीक्षण याचिका में, हमें तुरंत सिविल प्रक्रिया ("सी. पी. सी".) की धारा 114 का विज्ञापन करना चाहिए, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करता है कि उस व्यक्ति को खुद को व्यथित मानते हुए "डब्ल्यू. याचिका दायर करने का अधिकार होगा। सी. पी. सी. का आदेश XLVII इस स्थिति को दोहराता है कि कोई भी व्यक्ति

स्वयं व्यथित होने पर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं।

चाहे वह भारत का संघ हो। नरेशकुमार बद्रीकुमार जगद

उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 137 के आधार पर समीक्षा अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है जो यह भविष्यवाणी करता है कि सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा घोषित किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा याचिकाओं को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए हैं। विशेष रूप से, न तो सी. पी. सी. का आदेश XLVII और न ही सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का आदेश XLVII समीक्षा के उपचार को केवल समीक्षा के तहत निर्णय के पक्षों तक सीमित करता है। इसलिए, हमें यह स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं है कि कार्यवाही का कोई तीसरा पक्ष भी, यदि वह खुद को एक व्यथित व्यक्ति मानता है, तो पुनर्विचार याचिका के समाधान का सहारा ले सकता है।

सार यह है कि व्यक्ति को कुछ मामलों में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होना चाहिए। 20. अगला सवाल यह है कि क्या भारत संघ को एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है ताकि समीक्षा याचिका के उपाय को आगे बढ़ाया जा सके। यह.

सूट संपत्ति के संबंध में वैधानिक किरायेदारी अधिकारों सहित कपड़ा उपक्रम (पोदार मिल्स लिमिटेड) विषय के मालिकों को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया और वे पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित थे। उसी तरह से प्रावधान, इसकी उप-धारा (2) के अनुसार, कपड़ा उपक्रम जो इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार में निहित था, राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हस्तांतरित कर दिया गया और उसमें निहित कर दिया गया। कि

इसमें संबंधित वस्त्र उपक्रम द्वारा प्राप्त वाद संपत्ति के संबंध में विद्यमान वैधानिक किरायेदारी अधिकार शामिल हैं। हालाँकि, 2014 के अधिनियम के आधार पर धारा 3 में संशोधन किया गया है। एक कानूनी कल्पना द्वारा उस संशोधन को 1 जनवरी, 1994 से 1995 के अधिनियम में शामिल किया गया माना जाता है। धारा 3 में अंत:स्थापित संशोधित उप-धाराओं (3) और (4) का तात्पर्य यह है कि वस्त्र उपक्रम के पट्टा अधिकार

केंद्र सरकार में निहित रहना जारी है और कोई भी न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा एन. टी. सी. से निहित संपत्ति के विनिवेश का आदेश देने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके अलावा, 2014 के संशोधन अधिनियम ने 1995 के अधिनियम में धारा 39 पेश की है, जिसका शीर्षक 'वैधीकरण' है। हम इन प्रावधानों की प्रभावकारिता पर थोड़ी देर बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। 21. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि चूंकि भारत संघ यह स्पष्ट कर रहा है कि मुकदमे की संपत्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार [2018] 14 एस. सी. आर. में निहित थी।

22. यह कहने के बाद, अब हम इस न्यायालय द्वारा दीवानी कार्यवाही में प्रयोग किए जाने वाले समीक्षा अधिकार क्षेत्र के दायरे के सवाल की ओर रुख कर सकते हैं। इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 से प्रवाहित होती है, जो इस प्रकार है:

" 137. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा -

द्वारा घोषित किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति

यह "।

23. नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 145 में दी गई है।

संविधान। अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश XLVII के नियम 1 के अनुसार, न्यायालय सी. पी. सी. के आदेश XLVII, नियम 1 में उल्लिखित आधारों पर अपने फैसले या आदेश की समीक्षा कर सकता है। इसलिए सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. के नियम 1 का विज्ञापन करना उचित होगा। वही इस प्रकार पढ़ता है:

" ऑर्डर XLVII

समीक्षा

1. निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन।

(1) कोई भी व्यक्ति जो खुद को दुखी समझता है

(क) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे एक अपील की अनुमति है,

लेकिन किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी गई है,

(बी) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे कोई अपील की अनुमति नहीं है, या

(ग) लघु न्यायालय से एक संदर्भ पर निर्णय द्वारा

कारण,

और जो, नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्षय की खोज से, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, भारत संघ के भीतर नहीं था।

उसका ज्ञान या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, या रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट किसी गलती या त्रुटि के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, उसके खिलाफ पारित डिक्री या आदेश की समीक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उस न्यायालय में निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जिसने डिक्री पारित की या आदेश दिया

आदेश दें।

(2) एक पक्ष जो किसी डिक्री या आदेश से अपील नहीं कर रहा है, वह किसी अन्य पक्ष द्वारा अपील के लंबित होने के बावजूद निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी के लिए समान है, या जब, प्रतिवादी होने के नाते, वह अपील न्यायालय में मामला पेश कर सकता है।

जिस पर वह समीक्षा के लिए आवेदन करता है।

24. समीक्षा के लिए आधार ऊपर उल्लिखित खंड (1) में निर्दिष्ट किए गए हैं। वर्तमान मामले में तथ्यात्मक परिदृश्य निश्चित रूप से इसके लिए उत्तरदायी नहीं है नए या महत्वपूर्ण मामलों या साक्षय की खोज जो "उपलब्ध" था

या डिक्री के समय मौजूद है लेकिन उचित परिश्रम के बावजूद पेश नहीं किया जा सका। वर्तमान मामले में, समीक्षा याचिकाकर्ता का विभाजन अदालत द्वारा किए गए रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि के बारे में है और विशेष रूप से वैधीकरण अधिनियम 2014 के बाद के अधिनियमन के प्रभाव पर आधारित है जो

पक्षकारों, अर्थात् भारत संघ और एन. टी. सी. की स्थिति को पूरी तरह से बदल देता है और किसी भी डिक्री के प्रवर्तन को रोकता है और

एन. टी. सी. द्वारा न्यायालय को दिए गए वचन सहित।

25. आम तौर पर, बाद के विधान का अधिनियमन स्वयं द्वारा पहले से दिए गए निर्णय की समीक्षा करने का आधार नहीं हो सकता है।

अदालत। लेकिन समीक्षा याचिकाकर्ता का तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि बाद के कानून ने एक कानूनी कल्पना द्वारा 1 अप्रैल, 1994 से वाद संपत्ति के पक्षकारों की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप एन. टी. सी. के खिलाफ कार्रवाई का कारण, जैसा कि विषय मुकदमे में संदर्भित किया गया था, अस्तित्व में नहीं था; और एन. टी. सी. के खिलाफ या उस मामले के लिए पारित किसी भी डिक्री या आदेश को शामिल करते हुए, एन. टी. सी. द्वारा किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में दायर एक वचन को कानून के संचालन द्वारा अप्रवर्तनीय बना दिया गया है और इसे जारी या आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, भले ही एन. टी. सी. के खिलाफ एक वैध डिक्री पारित की गई हो, लेकिन यह कानून के संचालन से अक्षम्य हो गया था।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. राजा शत्रुंजी बनाम मोहम्मद अजमल अजीम और Ors.[2] के मामले में इस अदालत के पास पहले से पारित डिक्री पर पूर्वव्यापी प्रभाव वाले संशोधन के प्रभाव पर विचार करने का अवसर था। इस निर्णय के अनुच्छेद 11 से 13 में दिया गया कथन काफी शिक्षाप्रद है। यह तर्क है कि न्यायालय को वैधानिक एन को पूरा प्रभाव देना चाहिए, जिसे इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाना चाहिए-चाहे वह अधिकार क्षेत्र में कुछ भी हो। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

" 11. इसलिए संशोधन अधिनियम ने प्रावधान किया कि

संशोधन इस तरह प्रभावी हुआ जैसे कि संशोधन अधिनियम

सभी भौतिक तिथियों पर लागू। इस तरह के अनुमान का प्रभाव खंड इस न्यायालय द्वारा बॉम्बे राज्य बनाम में कहा गया था। पांडुरंग

विनायक चापलकर 3 3 इस प्रकार है:

' जब कोई क़ानून यह अधिनियमित करता है कि कुछ किया गया माना जाएगा, जो वास्तव में और सच्चाई में नहीं किया गया था, तो अदालत को यह पता लगाने का अधिकार है कि किन उद्देश्यों के लिए और किन व्यक्तियों के बीच वैधानिक कल्पना का सहारा लिया जाना है और

वैधानिक कल्पना को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए और इसे

इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए।

देनदारों और लेनदारों को ऋण की गणना और कटौती के लिए अदालत में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करके 1952 के अधिनियम की धारा 4 को पूर्ण प्रभाव देने के लिए वैधानिक कल्पना पेश की गई थी। यह.

यह महसूस किया गया कि अदालतें हमेशा सरल फरमान पारित करती हैं। यह था।

"डिक्री के तहत आरोपित" शब्दों को हटा दिया गया था धारा कभी भी किसी भी मकान मालिक को कोई राहत नहीं दे सकती थी जिसकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। अर्जित किया।

12. बॉम्बे मामले में इस न्यायालय ने ईस्ट एंड ड्वेलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम में लॉर्ड एस्क्विथ की टिप्पणियों का उल्लेख किया। फिन्सबरी बरो काउंसिल, 1952 ए. सी. 109 ने कहा कि "यदि आपको किसी काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए कहा जाता है, तो आपको निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तब तक उन परिणामों और घटनाओं की वास्तविक रूप से कल्पना भी करनी चाहिए, जो, यदि अनुमानित स्थिति वास्तव में मौजूद थी, तो अनिवार्य रूप से उससे निकले होंगे या उसके साथ आए होंगे। कानून कहता है कि आपको एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी

चाहिए; यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, आपको अपनी स्थिति के कारण या अनुमति देनी चाहिए।

2 एससीसी 200

953 एससी 244 = 1953 एससीआर 773 भारत बनाम।

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

जब अपरिहार्य परिणाम की बात आती है तो कल्पना चौंका देती है

उस स्थिति की "। इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि 1952 के अधिनियम की धारा 4 (2) में "डिक्री के तहत आरोपित" शब्द कभी भी इस अपरिहार्य परिणाम के साथ नहीं थे कि एकमात्र वैधानिक आवश्यकता यह है कि क्या गिरवी रखी गई संपत्ति में ऐसी संपत्ति शामिल है जिसे यू. पी. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित किया गया है।

13. 27 नवंबर, 1962 को जब उच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई की गई, तो यह संशोधन क़ानून-पुस्तिका में नहीं आया। यही कारण है कि निर्णय-देनदार ने उच्च न्यायालय के ध्यान में लाने के लिए एक आवेदन किया कि कानून यह था कि शब्द

" डिक्री के तहत आरोपित "हमेशा हटाए गए माने जाते थे और यह कानून 25 मई, 1953 को 1952 के अधिनियम के लागू होने की तारीख से प्रभावी था। उच्च न्यायालय द्वारा ए

बहुमत का विचार था कि निर्णय-ऋणदाताओं को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के तहत राहत दी जानी चाहिए-समीक्षा के सिद्धांत संहिता द्वारा परिभाषित किए गए हैं और संहिता के आदेश 47 में "कोई अन्य पर्याप्त कारण" शब्दों का अर्थ निर्दिष्ट आधारों के अनुरूप पर्याप्त कारण होगा।

उस क्रम में तुरंत पहले। समीक्षा के लिए आधार नए मामलों या साक्षय की खोज है जो, उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, उनकी जानकारी में नहीं था या उस समय उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, या समीक्षा के लिए कहा जाता है किसी गलती या त्रुटि के कारण जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है। राजा कोटागिरी में वेंकट सुब्बम्मा राव बनाम। राजा वेल्लंकी वेंकटरामा राव, लॉर्ड डेवी पी। 205 रिपोर्ट में कहा गया है कि "धारा एक डिक्री की समीक्षा को अधिकृत नहीं करती है जो सही थी जब यह था

बाद की किसी घटना के होने के आधार पर बनाया गया "। अपीलार्थी के वकील ने कहा कि जब उच्च न्यायालय ने

न्यायालय ने मामले का फैसला किया, उच्च न्यायालय ने कानून को लागू किया और बाद में कानून में परिवर्तन समीक्षा का आधार नहीं हो सका। अपीलार्थी का तर्क नहीं है

वर्तमान मामले में दो प्रमुख कारणों से स्वीकार्य; पहला, यह बाद का कानून नहीं है। यही वह कानून है जो 1952 से चला आ रहा है। डीमिंग प्रावधान पूरी तरह से है

25 मई, 1953 से प्रभावी और प्रभावी जब 1952 का अधिनियम लागू हुआ। परिणाम यह है कि अदालत को कानूनी प्रावधान को लागू करना है जैसा कि वह हमेशा से था। इसलिए यह [2018] 14 एस. सी. आर. होगा।

रिकॉर्ड के चेहरे पर त्रुटि हो। गलती यह होगी कि

जो कानून लागू किया गया था वह कानून नहीं था जो लागू होता है।

दूसरा, 1952 के अधिनियम की धारा 4 अदालत को शक्ति प्रदान करती है -

संहिता में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद कानून लागू करें

सिविल प्रक्रिया। इसलिए आवेदन हालांकि अंतर्वेष्टित है

समीक्षा के लिए आवेदन ऐसा नहीं था। पदार्थ और नहीं

आवेदन का प्रपत्र निर्णायक होगा।

(जोर दिया गया)

27. अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करना और अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के रूप में

ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो अनिवार्य रूप से संसद द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियमित कानून पर आधारित हैं, जिसमें एक कानूनी कल्पना है और संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा की शक्ति के अलावा पक्षों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए, इस न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए खुला है।

28. समीक्षाधीन निर्णय पर लौटते हुए, यह देखा गया है कि

1983 के अधिनियम और 1995 के अधिनियम के प्रावधानों को आम तौर पर अपीलकर्ता एन. टी. सी. द्वारा की गई याचिका पर विचार करते समय कहा गया है कि यह केवल केंद्र के एक एजेंट के रूप में मुकदमा संपत्ति के कब्जे में था।

सरकार। हालांकि, अदालत ने एनटीसी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि लिखित बयान में इसका विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया गया था। अदालत ने तब निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता एन. टी. सी. महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के संदर्भ में न तो "सरकार" था और न ही "सरकारी विभाग" और न ही केंद्र सरकार का "एजेंट" था। यह दृष्टिकोण 1983 के अधिनियम और 1995 के अधिनियम के "असंशोधित" प्रावधानों के संदर्भ में लिया गया है। वास्तव में, समीक्षा याचिकाकर्ताओं का तर्क होगा कि 1995 के अधिनियम में निहित असंशोधित प्रावधानों के निष्पक्ष अध्ययन और 1983 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ जुड़ने पर, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि पट्टा अधिकार केंद्र सरकार में निहित रहे। हालाँकि, हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

29. पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं को यह इंगित करना उचित हो सकता है कि यह

कि केंद्र सरकार किरायेदार थी और अपीलार्थी अभिनिर्धारित कर रहा था परिसर को केवल एक अभिकर्ता के रूप में; और यह कि पक्षकारों के गैर-भागीदार के बारे में एक अस्पष्ट याचिका ली गई थी- जिसे निचली अदालत के समक्ष भी आगे नहीं बढ़ाया गया था। वे त्रुटियाँ, हमारी राय में, समीक्षा के तहत निर्णय में इस न्यायालय द्वारा दर्ज अंतिम निष्कर्ष को प्रभावित नहीं करेंगी, भारत का संघ बनाम।

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

1995 के अधिनियम की "असंशोधित" धारा 3 के रूप में प्रासंगिक समय पर लागू प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करना। क्योंकि, उस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के आधार पर, वे अधिकार जो मुकदमे की संपत्ति के संबंध में केंद्र सरकार में पूरी तरह से निहित थे, 1 अप्रैल, 1994 से 1995 के अधिनियम के लागू होने पर अपीलार्थी एन. टी. सी. को हस्तांतरित और निहित किए गए थे। इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी समीक्षा के योग्य नहीं है। नतीजतन, यह आवश्यक नहीं है

एस. बागीरथी अम्मल बनाम पलानी रोमन कैथोलिक मिशन, भारत संघ बनाम संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड और Ors.[3] और चैंपसी भरा एंड कंपनी बनाम जीवराज बल्लू स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड में निर्णयों को विस्तार देने के लिए, समीक्षा अधिकार क्षेत्र के दायरे को नियंत्रित करने वाले नियमों में व्यक्त अभिव्यक्ति "स्पष्ट त्रुटि" के सिद्धांत पर।

30. हालांकि, कानूनी स्थिति में भारी बदलाव आया है।

वैधीकरण अधिनियम 2014 के लागू होने के बाद पूर्वव्यापी। वैधीकरण अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि उसमें निर्दिष्ट 1995 के अधिनियम में संशोधन को 1995 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख यानी 1 अप्रैल, 1994 को या उससे जोड़ा गया माना जाएगा। वैधीकरण अधिनियम की प्रस्तावना और उस मामले पर लागू प्रासंगिक अध्याय, जो उस अधिनियम का अध्याय III है, इस प्रकार पढ़ता है:

" द टेक्सटाईल अंडरटेकिंग्स (राष्ट्रीयकरण)

कानून (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2014

2014 का NO.36

[17 दिसंबर, 2014।]

बीमार वस्त्र उपक्रमों में संशोधन के लिए एक और अधिनियम

(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और वस्त्र उपक्रम

(पट्टा जारी रखने के लिए राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में निहित अधिकार रखें पट्टा-धारण अवधि का पूरा होना।

जहाँ राष्ट्रीय वस्त्र निगम इसके अधीन है

आम जनता और भूमि के हित जारी हैं।

उक्त निगम का कब्जा;

और जहाँ विभिन्न अन्य कपड़ा उपक्रमों ने

समय-समय पर राष्ट्रीयकृत किया गया और उनकी संपत्ति निहित की गई

4 (2009) 10 एस. सी. सी. 464

5 (2013) 8 एस. सी. सी. 337

(1923) खण्ड.

पूरी तरह से केंद्र सरकार में और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड को सभी बाधाओं से मुक्त रूप से हस्तांतरित किया गया;

और जहाँ कपड़ा के राष्ट्रीयकरण के बाद

उपक्रमों के साथ एक बड़ी राशि का निवेश किया गया है

उक्त कपड़ा उपक्रमों को व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से;

और जहां केंद्र सरकार ने पहल की है

बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के तहत राष्ट्रीय वस्त्र निगम सहित कुछ बीमार उपक्रमों को पुनर्जीवित करना।

और जहाँ यह उचित के लिए आवश्यक है और

पुनरुद्धार योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और अधिग्रहित कपड़ा उपक्रमों में सार्वजनिक निवेश की रक्षा करना और केंद्र सरकार में पट्टे के अधिकार के ऐसे निहित होने की स्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना।

इसे संसद द्वारा संसद के साठवें वर्ष में अधिनियमित किया जाए।

भारत गणराज्य निम्नानुसार है:

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम को कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2014 कहा जा सकता है।

(2) यह 24 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी माना जाएगा।

अध्याय II

द सिक टेक्सटाइल अंडर्टेकिंग्स (नेशनलाइजेशन) एक्ट, 1974 में संशोधन

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX XXX

XXX

XXX

XXX

अध्याय III

टेक्सटाईल अंडरटेकिंग्स में सुधार

(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 भारत बनाम।

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

5. कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 (इसके बाद इस अध्याय में जिसे मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रारंभ की तारीख को और उससे, धारा 3 में, उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धाराओं को जोड़ा जाएगा और

सम्मिलित किया गया माना जाएगा, अर्थात्:

" (3) उप-धारा (2) के आधार पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम को किसी भी वस्त्र उपक्रम के हस्तांतरण और निहित होने के बावजूद, वस्त्र उपक्रमों के पट्टा-धारक अधिकार निम्नलिखित में निहित रहेंगे:

केंद्र सरकार लीज-होल्ड किराए के भुगतान पर और राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उस सरकार के लिए और उसकी ओर से निर्वहन किया जाएगा जब और जब ऐसे लीज-होल्ड किराए या किसी भी राशि का भुगतान देय और देय हो जाता है।

(4) उप-धारा (3) के अधीन, किसी भी न्यायालय को राष्ट्रीय वस्त्र से विनिवेश का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

केन्द्र द्वारा निहित संपत्ति का निगम

सरकार "।.

6. मूलधन शुरू होने की तारीख को और उसके बाद से

अधिनियम, धारा 4 में, उप-धारा (7) के बाद, निम्नलिखित उप-धाराओं को जोड़ा जाएगा और यह माना जाएगा कि उन्हें जोड़ा गया है।

अर्थात्:

कि कपड़ा संचालन जारी रखा जा रहा है और नहीं मुकदमा या कार्यवाही शुरू की जाएगी या यदि शुरू की जाती है

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खिलाफ रखरखाव योग्य इस आधार पर कि उसने ऐसी गतिविधि को बंद कर दिया है

कपड़ा उपक्रम।

(9) संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पट्टे पर दी गई भूमि का केंद्र सरकार को निरंतर निहित होना राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खिलाफ मुकदमा चलाने के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, बाधित नहीं करेगा या किसी भी तरह से पूर्वाग्रह नहीं करेगा।

ऐसे किसी भी पट्टा-धारक अधिकार के संबंध में बाद में निहित व्यक्ति के रूप में किसी भी कार्यवाही का बचाव करें और ऐसी कोई भी कार्यवाही केवल उस सरकार के गैर-पक्षपाती होने के कारण विफल नहीं होगी। .

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. मूल अधिनियम की धारा 38 के बाद निम्नलिखित धारा लागू होगी, अर्थात्: —

" 39. किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

(क) इस अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि वस्त्र द्वारा संशोधित किया गया है।

उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और

वैधीकरण) अधिनियम, 2014 होगा और हमेशा माना जाएगा।

सभी उद्देश्यों के लिए प्रभावी होना जैसे कि इसके प्रावधान

अधिनियम, जैसा कि उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, बिल्कुल लागू था

भौतिक समय; ((ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय वस्त्र निगम से विभाजित कोई पट्टा-धारक संपत्ति, जैसा कि कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से ठीक पहले थी, उसी तरह से राष्ट्रीय वस्त्र निगम को हस्तांतरित की जाएगी और निहित होगी या निहित होती रहेगी, जो सभी बाधाओं से मुक्त थी, जैसे कि यह राष्ट्रीय वस्त्र निगम में निहित थी।

निगम इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस संपत्ति के इस तरह के विनिवेश से पहले मानो उपरोक्त अधिनियम द्वारा संशोधित इस अधिनियम के प्रावधान हर भौतिक समय पर लागू थे;

(ग) कोई भी मुकदमा या अन्य कार्यवाही, बिना किसी पूर्वाग्रह के

पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता को बनाए रखा जाए

या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में जारी रखा द्वारा दिए गए किसी आदेश या आदेश या निर्देश का प्रवर्तन

ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण, इसके बावजूद कि -

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा दायर किया गया उपक्रम

इस अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय वस्त्र निगम से ऐसी पट्टा-धारक संपत्ति के विनिवेश का निर्देश देने वाला कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण, जैसा कि उसके समक्ष था वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2014 का प्रारंभ और ऐसी पट्टा धारक संपत्ति राष्ट्रीय वस्त्र में निहित रहेगी।

इस अधिनियम की धारा 3 के तहत निगम, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जैसे कि उक्त धारा बिल्कुल भी लागू थी

भौतिक समय; (घ) भारत संघ द्वारा कुर्की, जब्ती या बिक्री के किसी आदेश के आधार पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम में निहित किसी भी संपत्ति का कोई हस्तांतरण।

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में निहित पट्टा-धारक संपत्ति के संबंध में सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के आदेशों के निष्पादन में, जो वस्त्र उपक्रमों द्वारा संशोधित इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

(राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2014 को अमान्य माना जाएगा और इस तरह के हस्तांतरण के बावजूद, इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वस्त्र निगम में निहित रहना जारी रहेगा। .

8. (1) कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) कानून

(संशोधन और वैधता) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। (2) कपड़ा उपक्रमों के निरसन के बावजूद

(राष्ट्रीयकरण) कानून (संशोधन और वैधता) अध्यादेश, 2014 , प्रमुख अधिनियमों के तहत कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई

जैसा कि उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया है, ऐसा माना जाएगा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मुख्य अधिनियमों के तहत किया गया या लिया गया।

(जोर दिया गया)

31. हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि प्रावधानों की वैधता

इन कार्यवाहियों में वैधीकरण अधिनियम 2014 जारी नहीं किया गया है। जैसा कि देखा गया है, वैधीकरण अधिनियम 2014 का प्रभाव उप-धाराओं (3) और (4) मूल अधिनियम अर्थात 1995 अधिनियम की धारा 4 की धारा 3 और उप-धारा (8) और (9) में, सभी उद्देश्यों के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, एक डीमिंग द्वारा

प्रावधान, मानो यह 1 अप्रैल, 1994 से सभी भौतिक समय पर हमेशा लागू रहा हो। इसके अलावा, धारा 39 को प्रधान अधिनियम में जोड़ा गया है।

32. धारा 3 में उप-धारा (3) और (4) के सम्मिलन का प्रभाव

प्रधान अधिनियम की धारा 3,1 अप्रैल, 1994 को इस प्रकार होगी:

" 3. (1) नियत दिन का अधिकार, उपाधि और ब्याज

केंद्र सरकार को और वह पूरी तरह से निहित होगी। (2) प्रत्येक कपड़ा उपक्रम जो केंद्र में निहित है

उप-धारा (1) के आधार पर सरकार इसके तुरंत बाद होगी।

इस प्रकार निहित है, राष्ट्रीय को हस्तांतरित किया गया है, और इसमें निहित है कपड़ा निगम।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4) उप-धारा (3) के अधीन रहते हुए, किसी भी न्यायालय को राष्ट्रीय वस्त्र निगम से विनिवेश का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा इसमें निहित संपत्ति का।

(जोर दिया गया)

इसी तरह, 2014 के संशोधन के आलोक में, 1 1994 को धारा 4 निम्नानुसार होगी:

" 4. (1) धारा 3 में निर्दिष्ट वस्त्र उपक्रमों में सभी परिसंपत्तियां, अधिकार, पट्टा-धारण, शक्तियां, प्राधिकरण और विशेषाधिकार और सभी चल और अचल संपत्ति, जिसमें भूमि, भवन, कार्यशालाएं, भंडार, उपकरण मशीनरी और उपकरण, नकद शेष, हाथ में नकदी, आरक्षित निधि, निवेश और वस्त्र उपक्रमों से संबंधित पुस्तक ऋण और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित शामिल हैं, जो उक्त के संबंध में वस्त्र कंपनी के स्वामित्व, अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में नियत दिन से तुरंत पहले थे।

(2) उपरोक्त सभी संपत्ति जो केंद्र में निहित हैं धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत सरकार, इस तरह के निहित होने के बल पर, किसी भी ट्रस्ट, दायित्व बंधक, शुल्क, ग्रहणाधिकार और उसे प्रभावित करने वाले सभी अन्य दायित्वों और किसी भी तरह से ऐसी संपत्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी भी कुर्की, निषेधाज्ञा या डिक्री या आदेश से मुक्त और मुक्त हो जाएगी।

यह माना जाएगा कि इसे वापस ले लिया गया है।

(3) जहां केंद्र सरकार या भारत सरकार की राज्य सरकार द्वारा किसी कपड़ा उपक्रम के संबंध में कोई लाइसेंस या अन्य साधन नियत दिन से पहले किसी भी समय मालिक को दिया गया था।

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

या कोई अन्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, ऐसी तारीख को और उससे, उसमें निर्दिष्ट मालिक के स्थान पर ऐसे लाइसेंस या अन्य साधन में प्रतिस्थापित माना जाएगा जैसे कि ऐसा लाइसेंस या ऐसा अन्य साधन उसे दिया गया था और ऐसा लाइसेंस या ऐसे में निर्दिष्ट वस्त्र उपक्रम धारण करेगा।

शेष अवधि के लिए अन्य लिखत जिसके लिए मालिक ने ऐसा लाइसेंस या ऐसे अन्य लिखत के तहत कपड़ा उपक्रम रखा होगा।

(4) इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार में निहित किसी भी संपत्ति का प्रत्येक बंधककर्ता और ऐसी किसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई प्रभार, ग्रहणाधिकार या अन्य हित रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी तरीके से, जो निर्धारित किया जाए, आयुक्त को ऐसे बंधक, शुल्क, ग्रहणाधिकार की सूचना देगा।

या अन्य ब्याज।

(5) संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का गिरवी रखने वाला या कोई अन्य व्यक्ति जिसमें कोई प्रभार, ग्रहणाधिकार या अन्य हित है, या - ऐसी किसी भी संपत्ति के संबंध में, उसके अधिकारों और हितों के अनुसार, बंधक के भुगतान का दावा करने का 'हकदार' होगा।

मानचित्र या अन्य-पहली अनुसूची में ऐसी संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट राशियों में से संपूर्ण या आंशिक रूप से बकाया, लेकिन ऐसा कोई नहीं

केंद्र सरकार में निहित किसी भी संपत्ति के खिलाफ बंधक, शुल्क, ग्रहणाधिकार या अन्य ब्याज लागू करने योग्य होगा।

(6) यदि, नियत दिन पर, कपड़ा कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित किसी भी संपत्ति के संबंध में कोई मुकदमा, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य कार्यवाही लंबित है, तो उसे कम नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा या किसी भी तरह से, कपड़ा उपक्रमों या किसी भी चीज़ के हस्तांतरण के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति जो उस तारीख को, जिस दिन कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 लागू किया गया था, धारा 3 में निर्दिष्ट किसी भी कपड़ा उपक्रम के पूरे या किसी भी हिस्से का कब्जा, या उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में था, जिसका प्रबंधन केंद्र द्वारा नहीं लिया जा सकता था।

सरकार किसी भी डिक्री, आदेश या किसी भी [2018] 14 एस. सी. आर. के निषेधाज्ञा के कारण

न्यायालय या अन्यथा, इस तरह के कब्जे को तुरंत वितरित करेगा।

ऐसे उपक्रम से संबंधित किसी भी प्रकृति के अन्य दस्तावेज या केंद्र सरकार या राष्ट्रीय वस्त्र विभाग का हिस्सा

निगम, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है।

पुनर्जीवित किए जा रहे किसी भी कपड़ा उपक्रम में बंद कर दिया गया है, सभी प्रभावों और उद्देश्यों के लिए यह माना जाएगा कि कपड़ा

अभियान जारी है और कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं हो रही है।

स्थापित किया जाएगा या यदि स्थापित किया जाता है तो इसके खिलाफ बनाए रखा जा सकता है

राष्ट्रीय वस्त्र निगम इस आधार पर कि उसके पास है

केंद्र में पट्टा-धारक भूमि का निरंतर निहित होना माना जाता है सरकार पूर्वाग्रह को प्रभावित, बाधित या किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी।

मुकदमा चलाने या बचाव करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधिकार

पट्टा-धारक अधिकार और ऐसी कोई भी कार्यवाही केवल इसी कारण विफल नहीं होगी। उस सरकार के गैर-दलाली का "।

(जोर दिया गया)

33. "संशोधित" के रूप में धारा 3 पर लौटना और जो संचालन द्वारा

कपड़ा उपक्रम के संबंध में पोद्दार मिल्स लिमिटेड का अधिकार, स्वामित्व और हित 1 अप्रैल, 1994 से लागू हो गया था। मुकदमा संपत्ति के संबंध में, हस्तांतरित किया गया और निहित किया गया

बिल्कुल केंद्र सरकार में। उप-धारा (2) के आधार पर, पोद्दार मिलों के ऐसे सभी अधिकार, स्वामित्व और हित जो केंद्र में निहित हैं। उप-धारा (1) के तहत सरकार, तुरंत अपीलार्थी एन. टी. सी. को हस्तांतरित कर दी गई और निहित कर दी गई, सिवाय मुकदमे में पट्टे के अधिकारों के।

संपत्ति "जो केंद्र सरकार में निहित बनी रही। क्योंकि, संशोधित धारा 3 (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 अप्रैल, 1994 तक सूट संपत्ति के संबंध में कपड़ा उपक्रम (पोद्दार मिल्स) के पट्टा अधिकार केंद्र में निहित बने रहे।

सरकार। उस अधिकार को कभी भी संचालन द्वारा एनटीसी को हस्तांतरित नहीं किया गया था कानून। इससे पहले यह माना जाता है कि उप-धारा (1) के संदर्भ में केंद्र सरकार में निहित कपड़ा उपक्रम के "केवल अन्य अधिकार" उप-धारा (2) के तहत एन. टी. सी. को हस्तांतरित और निहित किए गए थे।

मुकदमा संपत्ति के संबंध में पट्टा 21 अक्टूबर को समाप्त हो गया। पट्टा अवधि की समाप्ति पर, निर्विवाद रूप से, पोद्दार मिल्स बॉम्बे के होटल और लॉजिंग हाउस दर नियंत्रण अधिनियम, 1947 (संक्षेप में) के दायरे में सी. टी. ई. डी. किरायेदार या वैधानिक किरायेदार बन गई।7 अधिनियम ")। उक्त अधिनियम की धारा 5 (11) "किरायेदार" शब्द को परिभाषित करती है,

देर:

(11) " "किरायेदार" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसका कोई खाता हो।

किराया किसी भी परिसर के लिए देय है और इसमें शामिल हैं - (क) ऐसे उप-किरायेदार और अन्य व्यक्ति जिन्होंने 1 फरवरी 1973 से पहले किरायेदार के तहत अधिकार प्राप्त कर लिया हो;

((क) कोई भी व्यक्ति जिसे परिसर में रुचि सौंपी गई है।

या अनुमति के अनुसार स्थानांतरित या अनुमति के रूप में समझा जाता है

धारा 15;

(ख) पट्टा के निर्धारण के बाद, कब्जे में, मकान मालिक की सहमति के साथ या उसके बिना, स्वामित्व का कोई भी व्यक्ति शेष रहता है।

[फरवरी 1973 के पहले दिन से पहले;]

[((ख) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें इस प्रयोजन के लिए किरायेदार माना जाता है।

धारा 15क द्वारा एहि अधिनियमक]

[((ख) राज्य सरकार, या, यथास्थिति, - खंड (1क) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट सरकारी आबंटित व्यक्ति, जिसे धारा द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किरायेदार माना जाता है।

15बी;]।

न्यायालय द्वारा समझौते की चूक में निर्णय लिया जा सकता है; ((ख) शिक्षा, व्यवसाय, व्यापार या भंडारण के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी अनुमति के संबंध में, जब किरायेदार की मृत्यु हो जाती है, चाहे मृत्यु उक्त अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में हुई हो,

किरायेदार के परिवार का कोई भी सदस्य परिसर का उपयोग कर रहा है

[2018] 14 एस. सी. आर. में व्यवसाय, व्यापार या भंडारण करने की शिक्षा के उद्देश्य।

परिसर, उसकी मृत्यु के समय किरायेदार के साथ, या, में

ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति, मृतक किरायेदार का कोई उत्तराधिकारी, न्यायालय द्वारा समझौते की चूक में निर्णय लिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण। - संचरण के लिए इस खंड के प्रावधान

किरायेदारी, मूल किरायेदार की मृत्यु तक सीमित नहीं होगी, लेकिन लागू होगी, और हमेशा आवेदन किया हुआ माना जाएगा, किसी भी बाद के किरायेदार की मृत्यु पर भी, जो इसके तहत किरायेदार बन जाता है। अंतिम पूर्ववर्ती किरायेदार की मृत्यु पर ये प्रावधान।] "

1999 के अधिनियम में "किरायेदार" अभिव्यक्ति को धारा में परिभाषित किया गया है।

इस प्रकार है:

" (15) " "किरायेदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा या जिसके खाते में किसी परिसर के लिए किराया देय है और इसमें शामिल हैं:

((क) ऐसा व्यक्ति,

((i) जो किरायेदार है, या ((ii) जो एक मानित किरायेदार है, या

((ग) जो किसी अनुबंध के तहत अनुमत उप-किरायेदार है या

मकान मालिक की अनुमति या सहमति से, या

((iv) जिसने किसी किरायेदार के अधीन उपाधि प्राप्त की है, या (v) जिसे परिसर में ब्याज सौंपा गया है या

अनुमति के अनुसार स्थानांतरण,

निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के आधार पर या उसके प्रावधानों के तहत; (ख) एक व्यक्ति जिसे किरायेदार माना जाता है

धारा 25;

(ग) एक व्यक्ति जिसे परिसर में ब्याज सौंपा गया है।

या धारा 26 के तहत अनुमति के अनुसार स्थानांतरित;

(घ) किसी भी परिसर के संबंध में, जब किरायेदार की मृत्यु हो जाती है, या

मृत्यु इस घटना के शुरू होने से पहले या बाद में हुई

अधिनियम, किरायेदार के परिवार का कोई भी सदस्य, जो,

((i) जहाँ उन्हें रहने के लिए किराए पर दिया जाता है, वे रह रहे हैं, या ((ii) जहां उन्हें शिक्षा, व्यवसाय, व्यापार या व्यापार के लिए किराए पर दिया जाता है।

भंडारण, ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए परिसर का उपयोग कर रहा है, भारत संघ v.

उसकी मृत्यु के समय किरायेदार के साथ, या, ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति में, मृत किरायेदार का कोई उत्तराधिकारी, जैसा कि तय किया जा सकता है

अदालत द्वारा समझौते की अनुपस्थिति।

स्पष्टीकरण। संचरण के लिए इस खंड के प्रावधान किरायेदारी मूल किरायेदार की मृत्यु तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि किसी भी बाद के किरायेदार की मृत्यु पर भी लागू होगी, जो अंतिम किरायेदार की मृत्यु पर इन प्रावधानों के तहत किरायेदार बन जाता है।

पूर्ववर्ती किरायेदार "।

35. एक संरक्षित या वैधानिक किरायेदार होने के नाते, पोद्दार मिल्स हो सकती है

न्यास द्वारा वाद परिसर से केवल उस अधिनियम के तहत अनुमत आधारों पर बेदखल किया जाता है, जिसमें मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद पर विचार करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम किराया न्यायालय के समक्ष बेदखली की कार्यवाही शुरू की जाती है, जिसे तब वाद संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मकान मालिक की पात्रता के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी। पोद्दार मिल्स लिमिटेड द्वारा इस प्रकार प्राप्त अधिकार 1 अप्रैल, 1994 से केंद्र सरकार को हस्तांतरित और निहित कर दिया गया। इसके अलावा, 1995 के अधिनियम की "संशोधित" धारा 3 के आधार पर, कानून के संचालन द्वारा, सूट संपत्ति के संबंध में, वैधानिक या संरक्षित किरायेदार होने के वस्त्र उपक्रम के अधिकार, 1999 के अधिनियम के लागू होने और 1947 के अधिनियम के निरसन के बाद भी केंद्र सरकार में निहित रहे। परिणामस्वरूप, 1999 के अधिनियम के प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 2 और 3 के संदर्भ में वाद संपत्ति पर पूरी तरह से लागू होंगे। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 2. आवेदन। (1) यह अधिनियम, पहली बार में, अनुसूची I और अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निवास, शिक्षा, व्यवसाय, व्यापार या भंडारण के उद्देश्यों के लिए किराए पर दिए गए परिसरों पर लागू होगा।

II.

प्रांत और आवास के किराए पर देने का बरार विनियमन अधिनियम, 1946 और हैदराबाद हाउस (किराया, बेदखली और पट्टा) नियंत्रण अधिनियम, 1954 को इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले बढ़ा दिया गया था और लागू किया गया था और इस अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट क्षेत्रों में ऐसे परिसरों या घरों को उस तारीख को इस तरह से किराए पर दिया जाना जारी है, भले ही क्षेत्र समाप्त हो गया हो।

उसमें विनिर्दिष्ट विवरण।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) यह उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसरों पर भी लागू होगा, जैसे कि इन में निर्दिष्ट शहरों या कस्बों में से

अनुसूची II.

(4) ऊपर कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि -

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सभी उद्देश्य; (ख) यह अधिनियम उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी या सभी उद्देश्यों के लिए किराए पर दिए गए किसी भी परिसर पर लागू होगा।

अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में निर्दिष्ट।

3. छूट। (1) यह अधिनियम लागू नहीं होगा - (क) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित किसी भी परिसर में

या सरकार द्वारा अधिग्रहित या पट्टे पर या लाइसेंस पर लिए गए परिसरों के संबंध में सरकार से अनुदान या सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस द्वारा बनाए गए किसी भी किरायेदारी, लाइसेंस या अन्य समान संबंध के लिए सरकार के खिलाफ लागू होता है, जिसमें किसी अधिकारी द्वारा या उसके नाम पर किरायेदारी या लाइसेंस या अन्य समान संबंध के आधार पर सरकार की ओर से लिया गया कोई भी परिसर शामिल है। इस ओर से प्राधिकृत सरकार के अधीनस्थ, लेकिन यह सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को किराए पर दिए गए या लाइसेंस पर दिए गए या सरकार की ओर से ऐसे अधिकारी द्वारा या उसके नाम पर लिए गए परिसरों के संबंध में लागू होगा।

(ख) बैंकों या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किसी भी किराए या उप-किराए के परिसर में।

उपक्रम या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई निगम, या विदेशी मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और निजी लिमिटेड कंपनियां और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां जिनकी चुकता शेयर पूंजी से अधिक है।

एक करोड़ रुपये या उससे अधिक।

स्पष्टीकरण। - इस खंड के प्रयोजन के लिए "बैंक" पद का अर्थ है-(i) राज्य के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय बैंक अधिनियम, 1955; (ii) भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 में परिभाषित एक सहायक बैंक; (iii) भारत सरकार बनाम।

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

बैंकिंग की धारा 3 के तहत गठित संबंधित नया बैंक

कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970

या बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 के तहत (अधिग्रहण और

उपक्रम अंतरण) अधिनियम, 1980; या (iv) कोई अन्य बैंक,

धारा 2 के खंड (ङ) में परिभाषित अनुसूचित बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934। (2) राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि सभी या इनमें से कोई भी

इस अधिनियम के प्रावधान ऐसी शर्तों और शर्तों के अधीन रहेंगे।

जैसा कि यह निर्दिष्ट कर सकता है, लागू नहीं होता है

ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों के किसी भी वर्ग के लिए; (ii) परिसरों के लिए एक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक सार्वजनिक न्यास द्वारा आयोजित और

एक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए न्यास और एक द्वारा प्रशासित स्थानीय प्राधिकारी; या (iv) किसी निकाय से संबंधित या उसमें निहित परिसरों के लिए।

उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय।

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत कोई निर्देश जारी करने से पहले,

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के किरायेदारी अधिकार

मौजूदा किरायेदार प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं।

(3) अभिव्यक्ति "सरकार से संबंधित परिसर या

उप-धारा (1) में स्थानीय प्राधिकारी, किसी भी बात के होते हुए भी,

उक्त उप-धारा या किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित

न्यायालय के आदेश में किसी भी भूमि पर बनाई गई इमारत शामिल नहीं है।

सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का कोई भी व्यक्ति

समझौता, पट्टा, लाइसेंस या अन्य अनुदान, हालांकि

ऐसे समझौते, पट्टा, लाइसेंस या अनुदान के प्रावधानों के लिए इस प्रकार निर्मित इमारत से संबंधित हो सकती है या बनी रह सकती है

सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, और व्यक्ति ऐसे संबंध में किरायेदारी बनाने का हकदार होगा

भवन या उसका कोई हिस्सा।

(जोर दिया गया)

धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ए) का उत्तरार्द्ध भाग

अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम के संबंध में लागू होगा

सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को लाइसेंस पर दिया जाता है या दिया जाता है या

सरकार की ओर से इस आधार पर, या उसके नाम पर,

अधिकारी।

1 अप्रैल, 1994 से यह तथ्य कि अपीलकर्ता एन. टी. सी. उसमें अपनी गतिविधियों को चला रहा था, मकान मालिक (न्यास) को वास्तविक किरायेदार, अर्थात् केंद्र सरकार या भारत संघ के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगा। और इस तरह की बेदखली की कार्यवाही केवल अधिकार क्षेत्र वाले किराया न्यायालय के समक्ष रखी जा सकती है, जो मकान मालिक और किरायेदार के बीच किसी भी विवाद का फैसला करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र रखता है। हालाँकि, वर्तमान मुकदमा केवल अपीलार्थी एन. टी. सी. के खिलाफ और वह भी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र वाले दीवानी न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। यह स्पष्ट है कि ट्रस्ट ने कानूनी सलाह पर काम किया और दो मुकदमे दायर करने के बावजूद वर्तमान मुकदमा दायर किया (अर्थात्, 1995 का टी. ई. आर. सूट 680/1568 और आर. ए. डी. सूट 955/1997) पहले के समय में, सूट संपत्ति के कब्जे के लिए, जिनमें से दोनों में भारत संघ को पक्षकार-प्रतिवादी बनाया गया था। लेकिन उन मुकदमों को अंततः गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया और न्यास को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, विषय मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, क्रमशः वापस ले लिया गया।

37. इसे अलग तरह से रखने के लिए, ट्रस्ट द्वारा स्थापित वर्तमान मुकदमा

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत, जो बेदखली की डिक्री के साथ समाप्त हुआ, इस अदालत को समीक्षा के तहत फैसले के माध्यम से पुष्टि की गई है, कानून के संचालन द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना प्रस्तुत किया गया है। यह वैधीकरण अधिनियम 2014 के लागू होने के बाद की स्थिति है और विशेष रूप से, धारा 39 का उद्देश्य जैसा कि जोड़ा गया है, इस प्रकार पारित डिक्री या एनटीसी द्वारा दिए गए उपक्रम को जारी या लागू नहीं किया जा सकता है।

38. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील के अनुसार, वैधीकरण अधिनियम 2014 द्वारा पेश किए गए संशोधित प्रावधान में कोई नहीं है वर्तमान मामले में आवेदन। यह तर्क इस पर आधारित है कि

वस्त्र उपक्रम के "पट्टा अधिकार" अभिव्यक्ति की व्याख्या। यह तर्क दिया जाता है कि यह अभिव्यक्ति पूर्व-मानती है कि एक मौजूदा या स्थायी पट्टा अधिकार होना चाहिए। केवल ऐसा अधिकार ही संशोधित प्रावधान द्वारा शासित होगा। इस प्रस्तुति को समर्थन देने के लिए, 1995 के अधिनियम की धारा 4 पर निर्भरता रखी गई है जो स्पष्ट रूप से वस्त्र उपक्रम द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार के अधिकारों का विज्ञापन करती है। " लीजहोल्ड्स "ऐसा ही एक अधिकार है जिसका अलग से उल्लेख किया गया है। चूँकि पोद्दार मिल्स के पक्ष में कोई "मौजूदा" पट्टा अधिकार नहीं था, इसलिए अनिवार्य रूप से ऐसा कोई अधिकार केंद्र सरकार में निहित नहीं था। जबकि, उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार को हस्तांतरित और निहित अधिकार केवल भारत के पोद्दार मिल्स यूनियन द्वारा प्राप्त संरक्षित या वैधानिक किरायेदार का है।

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

अधिनियम की धारा 4 (1) में बताए गए अधिकार। ऐसा ही एक अधिकार पट्टाधारक अधिकार हो सकता है। स्वीकार करते हुए, अभिव्यक्ति "लीजहोल्ड अधिकार" 1995 के अधिनियम में उल्लिखित का अर्थ संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के तहत अधिकारों के साथ-साथ लागू किराया अधिनियम के तहत बिना किसी अपवाद के "किरायेदारी अधिकारों" को मान्यता देने के रूप में किया जाना चाहिए। 1983 के अधिनियम या 1995 के अधिनियम या उस मामले के लिए संबंधित किराया अधिनियम में "पट्टा अधिकार" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। उस अभिव्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 से देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति

" पट्टा "को इसकी धारा 105 में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

" 105. पट्टा परिभाषित किया गया है। - अचल संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार का हस्तांतरण है, जो एक निश्चित समय के लिए, व्यक्त या निहित, या स्थायी रूप से, एक कीमत के विचार में किया जाता है।

हस्तांतरणकर्ता द्वारा समय-समय पर या निर्दिष्ट अवसरों पर हस्तांतरणकर्ता को प्रदान की जाने वाली फसलों, सेवा या मूल्य की किसी अन्य चीज़ का भुगतान या वादा, या धन, जो हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरणकर्ता को स्वीकार किया जाता है। ऐसी शर्तों पर हस्तांतरण।

कम, पट्टेदार, प्रीमियम और किराया परिभाषित। - हस्तांतरणकर्ता है

पट्टेदार कहल जाइत अछि, अन्तरितीकेँ पट्टेदार कहल जाइत अछि, दामकेँ प्रीमियम कहल जाइत अछि, आ पाई, शेयर, सेवा आकि आन चीज।

इस तरह प्रदान किए जाने को किराया कहा जाता है। "[2018] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम का अध्याय 5 मामलों से संबंधित है।

पट्टा के खनन को धारा 111 से निकाला जा सकता है औरकिसी संपत्ति के पट्टेदार या कम पट्टेदार की स्थिति में स्वामित्व

पट्टे के निर्धारण के बाद उसके कब्जे में होना

पट्टेदार को धारा 116 में उपबंध किया गया है, जो इस प्रकार है:

" 116. पकड़ रखने का प्रभाव। - यदि पट्टेदार या उससे कम पट्टेदार

के निर्धारण के बाद संपत्ति उसके कब्जे में रहती है पट्टेदार को दिया गया पट्टा, और पट्टेदार या उसका कानूनी पट्टा

प्रतिनिधि पट्टेदार या कम पट्टेदार से किराया स्वीकार करता है, या पट्टेदार या उसका कानूनी प्रतिनिधि पट्टेदार या कम पट्टेदार से किराया स्वीकार करता है, या अन्यथा उसके कब्जे में बने रहने के लिए सहमति देता है, पट्टे, इसके विपरीत एक समझौते के अभाव में है,

धारा में विनिर्दिष्ट उस उद्देश्य के अनुसार, जिसके लिए संपत्ति पट्टे पर दी गई है, वर्ष दर वर्ष या महीने दर महीने नवीनीकरण किया जाता है।

106 .

(a) A एक घर को B को पाँच साल के लिए किराए पर देता है। बी घर को सी को रुपये के मासिक किराए पर देता है। 100. पाँच साल की अवधि समाप्त हो जाती है, लेकिन सी घर के कब्जे में रहता है और ए. सी. के पट्टे पर किराए का भुगतान करता है महीने से महीने तक नवीनीकरण किया जाता है।

(ख) ए, बी को सी के जीवनकाल के लिए एक खेत देता है. सी मर जाता है, लेकिन बी में जारी रहता है

ए की सहमति के साथ अधिकार। बी के पट्टे का साल दर साल नवीनीकरण किया जाता है। वर्ष '।

40. हमें लाभ के साथ 'लीज', 'होल्ड', 'लीजहोल्ड ब्याज', 'किरायेदारी' और 'पीड़ा में किरायेदारी' अभिव्यक्ति का अर्थ उद्धृत करना चाहिए। ब्लैक लॉ डिक्शनरी (9 वीं संस्करण) में संपादित। उसी तरह पढ़ा जाता हैबनाम ◌:

लीज, एन। (14ग) 1-एक अनुबंध जिसके द्वारा एक सही स्वामी वास्तविक संपत्ति विचार के बदले में संपत्ति का उपयोग करने और उस पर कब्जा करने के अधिकार को व्यक्त करती है। किराया देते हैं। - लीज एक के लिए हो सकता है

निश्चित अवधि, या अपनी इच्छानुसार समाप्त होने वाली अवधि के लिए। [मामले: मकान मालिक और किरायेदार-20।] 2- इस तरह का एक हस्तांतरण और उससे जुड़ी सभी वाचाएँ। 3- इस तरह के हस्तांतरण और इसकी वाचाओं को याद करने वाला लिखित उपकरण। - सभी को पट्टा समझौता कहा जाता है; पट्टा अनुबंध।

ऑन ऑफ इंडिया वी. नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

4- वास्तविक संपत्ति की कीमत इस प्रकार व्यक्त की गई। 5- एक संपर्क जिसके द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का सही स्वामी सूचित करता है

विचार के बदले में उस संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार। [मामले: जमानत-1.]

लीज़होल्ड, एन। (18(c) भूमि में किरायेदार की स्वामित्व वाली संपत्ति या परिसर, चार प्रकार हैं वर्षों के लिए किरायेदारी, आवधिक किरायेदारी, इच्छा पर किरायेदारी, और पीड़ा में किरायेदारी।

• यद्यपि लीजहोल्ड में वास्तविक संपत्ति की कुछ विशेषताएँ होती हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। - साथ ही लीजहोल्ड एस्टेट कहा जाता है; लीजहोल्ड ब्याज। टेनेंसी देखें। सी. एफ. फ्रीहोल्ड। [मामले: मकान मालिक और किरायेदार-70,113, 117.]

लीजहोल्ड ब्याज। (18ग) 1-लीजहोल्ड; विशेष रूप से। उद्देश्यों के लिए

प्रतिष्ठित क्षेत्र का, पट्टे में ही पट्टेदार का ब्याज, कुल शेष किराए और किराए के बीच के अंतर से मापा जाता है

पट्टेदार समान अवधि के लिए समान स्थान के लिए भुगतान करेगा। [मामले: प्रख्यात क्षेत्र-147] 2-पट्टा अनुबंध के तहत पट्टेदार या पट्टेदार का ब्याज। [मामले: जमानत-7] 3. रुचि के साथ काम करना। [मामले: मकान मालिक और किरायेदार-20।]

किरायेदारी। (16(ग) 1. पट्टे के तहत भूमि का कब्जा या अधिभोग; अचल संपत्ति में पट्टे का ब्याज। 2. ऐसे अधिकार या अधिभोग की अवधि। एस्टेट (1) देखें। [मामले: मकान मालिक और किरायेदार-20] 3. अधिकार या स्वामित्व द्वारा वास्तविक या व्यक्तिगत संपत्ति का कब्जा, विशेष रूप से। एक विलेख या वसीयत जैसे एक संप्रेषण साधन के तहत।

पीड़ा में किरायेदारी। (18ग) एक किरायेदारी तब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति जो संपत्ति के वैध कब्जे में रहा है, गलत तरीके से उसके ब्याज की अवधि समाप्त होने के बाद होल्डओवर के रूप में रहता है। • पीड़ा में किरायेदारी या तो अपनी इच्छानुसार किरायेदारी या आवधिक किरायेदारी का रूप लेती है।

किरायेदारी। - इसे होल्डओवर टेनेंसी भी कहा जाता है; पीड़ा में संपत्ति। होल्डिंग ओवर (1) देखें। [मामले: मकान मालिक और किरायेदार-117, 119.]

" पीड़ा में एक किरायेदारी उत्पन्न होती है जहाँ एक किरायेदार,

एक वैध किरायेदारी के तहत भूमि पर प्रवेश किया,

मकान मालिक की सहमति या असहमति के बिना। ऐसा किरायेदार एक अतिचारक से अलग है कि उसका मूल प्रवेश वैध था, और एक किरायेदार से अपनी इच्छानुसार कि

उसकी किरायेदारी मकान मालिक की सहमति के बिना मौजूद है। इस प्रकार, कोई किराया देय नहीं है, लेकिन किरायेदार अपने उपयोग [2018] 14 एस. सी. आर. के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

और भूमि पर कब्जा। किरायेदारी का निर्धारण किसी भी समय किया जा सकता है [अर्थात, समाप्त], और इसे सामान्य तरीके से वार्षिक या अन्य आवधिक किरायेदारी में परिवर्तित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, यदि किराए का भुगतान किया जाता है और उन परिस्थितियों में एक वर्ष के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है जहां पक्षों ने एक किरायेदारी होने का इरादा किया था। " रॉबर्ट ई. मेगारी और एम. पी. थॉम्पसन, ए मैनुअल ऑफ द लॉ ऑफ रियल प्रॉपर्टी 319 (छठा संस्करण। 1993)।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी में 'टेनेंट' और 'होल्डओवर टेनेंट' अभिव्यक्ति का विज्ञापन करना भी उपयोगी होगा जो इस प्रकार हैं:

किरायेदार, एन। (14(ग) 1. वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के अधिकार या अधिकार से भूमि या आवास रखता है या रखता है। टेनेंसी देखें। [मामले: मकान मालिक

और किरायेदार-1]

होल्डओवर किरायेदार: एक व्यक्ति जो पिछली किरायेदारी (विशेष रूप से पट्टे के तहत एक) के बाद वास्तविक संपत्ति के कब्जे में रहता है, उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, इस प्रकार पीड़ित किरायेदारी को जन्म देता है। - कभी-कभी होल्डओवर को छोटा कर दिया जाता है। टेनेंसी के तहत पीड़ा में किरायेदारी देखें। [मामले:

मकान मालिक और किरायेदार-119 (2)।]

लागू किराया अधिनियम से आने वाले अधिकार। क्योंकि, किराया अधिनियम के तहत उपार्जित "किरायेदारी अधिकार" अभिव्यक्ति "पट्टा अधिकार" अभिव्यक्ति के अनुरूप और विनिमेय है। कपड़ा उपक्रम के मालिकों द्वारा इस तरह से प्राप्त "वैधानिक अधिकार" अभिव्यक्ति को उप-धारा (3) में निर्दिष्ट "पट्टा अधिकार" अभिव्यक्ति से बाहर करने का कोई कारण नहीं है, जब तक कि इसे इतना स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया है। 42. 1995 के अधिनियम और वैधीकरण अधिनियम 2014 को अधिनियमित करने के विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए, धारा 3 की उप-धारा (3) में आने वाले "पट्टा अधिकार" अभिव्यक्ति को सीमित अर्थ देना संभव नहीं है, जैसा कि संशोधित किया गया है, या उक्त अधिनियम में कहीं और है। इस प्रकार, 1995 के अधिनियम में पट्टा अधिकार अभिव्यक्ति में लागू किराया कानून के प्रावधानों से निकलने वाले "किरायेदारी अधिकार" शामिल होने चाहिए।

व्याख्या विधायी इरादे के लिए हिंसा करना होगा और एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण होगा।

43. उत्तरदाताओं के अनुसार, पोद्दार मिल्स और इसके परिणामस्वरूप भारत संघ की स्थिति पीड़ित किरायेदार की है। हम पहले ही संबंधित किराया अधिनियम के प्रावधानों को स्वीकार कर चुके हैं। 1947 के अधिनियम की योजना और 1999 के अधिनियम में भी, यह निर्विवाद है कि पट्टा अवधि के निर्धारण के बाद, पोद्दार मिलों का दर्जा किराया अधिनियम के तहत एक संरक्षित या वैधानिक किरायेदार का हो गया था। इस प्रकार, यह संबंधित किराया अधिनियम के तहत निर्धारित किरायेदारी अधिकारों का आनंद लेता रहेगा। एक बार जब केंद्र सरकार द्वारा कानून के संचालन द्वारा उस स्थिति का अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो बेदखली की कार्रवाई केवल संबंधित किराया अधिनियम के तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही हो सकती है।

44. बी. अरविंद कुमार बनाम सरकार में अनुच्छेद 9 पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। भारत और अन्य ', जिसमें आवश्यक सामग्री

पट्टे को निम्नानुसार चित्रित किया गया है:

" 9. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 105 पट्टा को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

“ 105. ....

इस प्रकार, पट्टे की आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: (क) अचल संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार का हस्तांतरण होना चाहिए; (ख) ऐसा हस्तांतरण एक निश्चित अवधि के लिए या स्थायी रूप से हो सकता है; (ग) हस्तांतरण प्रीमियम या किराए के विचार में होना चाहिए;

(घ) हस्तांतरण एक द्वैपाक्षिक लेनदेन होना चाहिए, हस्तांतरणकर्ता

हस्तांतरण की शर्तों को स्वीकार करना।

इन सामग्रियों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि पोद्दार मिल्स के पट्टा अधिकार 21 अक्टूबर, 1990 को समय के प्रवाह से समाप्त हो गए थे।

चूंकि, पोद्दार मिल्स के पास कोई निर्वाह पट्टा अधिकार नहीं थे, इसलिए 1 अप्रैल, 1994 को सूट संपत्ति में पोद्दार मिल्स का अधिकार, स्वामित्व और ब्याज निहित था।

1995 के अधिनियम के आधार पर पट्टे के अधिकारों से अलग था। जबकि, संशोधित प्रावधान उप-धारा (3) सहित धारा 3 को केवल 1995 के अधिनियम के तहत अधिग्रहित निर्वाह पट्टाधारिता अधिकारों के संबंध में लागू किया जा सकता है।

हम पहले ही देख चुके हैं कि भले ही पोद्दार मिल्स के पट्टा अधिकार 21 अक्टूबर, 1990 को समाप्त हो गए थे, लेकिन यह 1947 के अधिनियम के संदर्भ में एक संरक्षित या वैधानिक किरायेदार के अधिकारों

का आनंद लेता रहा और 1995 के अधिनियम की धारा 3 (3) में निर्दिष्ट "पट्टा अधिकार" के लिए अभिनिर्धारित था। इसलिए, पीड़ित को पकड़ने या किरायेदार को पीड़ित करने का तर्क लागू नहीं होगा।

क्योंकि 1947 के अधिनियम के तहत एक संरक्षित या वैधानिक किरायेदार के अधिकार उस अधिनियम द्वारा शासित होंगे और ऐसे किरायेदार को केवल उस संबंध में अधिकार क्षेत्र वाले किराया न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर किराया अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित आधारों पर बेदखल किया जा सकता है।

45. वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, न्यास इस स्पष्ट समझ पर आगे बढ़ा कि पोद्दार मिल्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त अधिकारों के बाद पट्टा अवधि का निर्धारण एक संरक्षित या वैधानिक किरायेदार का था

किराया कानून (1947 अधिनियम) के अर्थ के भीतर। वह अधिकार 1995 के अधिनियम की धारा 3 (1) के आधार पर केंद्र सरकार को हस्तांतरित और निहित किया गया था और धारा 3 (3) के संदर्भ में इसमें निहित है जो 1 अप्रैल, 1994 से लागू हुई थी और सभी उद्देश्यों के लिए हमेशा प्रभावी मानी जाती है जैसे कि यह बिल्कुल भी लागू था।

भौतिक समय। 46. श्री चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड के कथन पर भरोसा करते हुए। बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन सीएसआई सिनोद सचिवालय,

मदरसा, यह तर्क दिया गया था कि पोद्दार मिल्स ने 21 अक्टूबर, 1990 के बाद भी केवल तत्कालीन लागू किराया अधिनियम, अर्थात् 1947 अधिनियम के संरक्षण के आधार पर सूट संपत्ति पर कब्जा जारी रखा था, इसका कोई भी अस्तित्व अधिकार नहीं था। रिलायंस को रखा गया है

पैराग्राफ संख्या। 13 और उक्त निर्णय का 15, जो इस प्रकार है:

" 13. हम अपीलार्थी-कंपनी के विद्वान वकील के इस तर्क से भी सहमत होने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी-कंपनी का पट्टे पर दिया गया ब्याज धारा 22 (1) के उद्देश्य के लिए संपत्ति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पट्टेदार का उसे पट्टे पर दिए गए परिसर में पट्टाधारक का ब्याज संपत्ति है।

जिसे हस्तांतरित किया जा सकता है और उक्त ब्याज को किसी पट्टेदार के खिलाफ डिक्री की संतुष्टि में निष्पादन के माध्यम से संलग्न और बेचा जा सकता है। उस अर्थ में, यह कहा जा सकता है कि किसी कंपनी का पट्टा हित उसकी संपत्ति है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वही है

प्रासंगिक किराया कानून द्वारा प्रदत्त संरक्षण के आधार पर एक सांविधिक किरायेदार के रूप में परिसर पर कब्जा करने वाली कंपनी के हित के संबंध में यह सच है क्योंकि तत्काल मामले में बोर्ड को निर्देश की तारीख को अपीलकर्ता-कंपनी को बेदखल करने की कार्यवाही लंबित थी और अपीलकर्ता-कंपनी केवल कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित एक सांविधिक किरायेदार के रूप में परिसर पर कब्जा कर रही थी। ज्ञान देवी आनंद बनाम। जीवन कुमार 1 इस न्यायालय ने निर्धारित किया है

(1992) 3 एस. सी. सी. 1 ऑन ऑफ इंडिया बनाम

कि संविदात्मक किरायेदारी की समाप्ति से किरायेदार की स्थिति और कानूनी स्थिति में तब तक कोई बदलाव नहीं आता जब तक कि संबंधित किराया अधिनियम और किरायेदार में इसके विपरीत प्रावधान न हों।

किरायेदारी की समाप्ति के बावजूद, किरायेदार परिसर में संपत्ति या ब्याज का आनंद लेता है। यह आगे निर्धारित किया गया है कि यह ब्याज या संपत्ति जिसका किरायेदार संविदात्मक किरायेदारी की समाप्ति के बावजूद आनंद ले रहा है, इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के अभाव में एक वंशानुगत हित पैदा करता है। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि विधायिका जो किराया अधिनियम द्वारा किरायेदारों को लाभ प्रदान करने और बेदखली के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है,

किरायेदार की संविदात्मक किरायेदारी की समाप्ति के बाद संरक्षण की प्रकृति और ऐसे किरायेदारी अधिकारों के आनंद के तरीके और सीमा को विनियमित करने वाला उचित प्रावधान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, जिसमें किरायेदार की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के अधिकार और संरक्षण की प्रकृति शामिल है। " 15. इन प्रावधानों से यह प्रतीत होता है कि मामलों को छोड़कर

धारा 23 की उप-धारा (1) के दो प्रावधानों के अंतर्गत, एक किरायेदार के लिए पूरे या परिसर के किसी भी हिस्से को उसे किराए पर देने या किसी अन्य तरीके से उसमें अपना हित सौंपने या स्थानांतरित करने का निषेध है। हालाँकि, यह निषेध एक के अधीन है

इसके विपरीत अनुबंध करें। एक किरायेदार जो इस निषेध का उल्लंघन करते हुए परिसर को खाली करता है या सौंपता है या स्थानांतरित करता है, वह कानून का संरक्षण खो देता है और उसे मकान मालिक द्वारा धारा 21 (1) (एफ) के तहत बेदखल किया जा सकता है। एक वैधानिक किरायेदार के मामले में, संबंध अनुबंध द्वारा शासित नहीं होता है। समनुदेशन के विरुद्ध निषेध और हस्तांतरण, इसलिए, निरपेक्ष है और एक वैधानिक किरायेदार के हित को न तो सौंपा जा सकता है और न ही स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा शासित अपने व्यवसाय में परिसर में वैधानिक किरायेदार का हित एक सीमित ब्याज है जो जीवित पति या पत्नी या किसी भी बेटे या बेटी को सक्षम बनाता है।

एक मृत किरायेदार का पिता या माँ जो किरायेदार की मृत्यु तक किरायेदार के परिवार के सदस्य के रूप में परिसर में किरायेदार के साथ रह रहा था और एक व्यक्ति जो उसके पक्ष में किरायेदारी की समाप्ति के बाद कब्जे में बना हुआ है, उसकी मृत्यु पर किरायेदार का हित विरासत में प्राप्त करने के लिए। हालांकि, किरायेदार का उक्त हित निर्दिष्ट या हस्तांतरणीय नहीं है और इसलिए, एक कंपनी का हित है जो कंपनी के कब्जे में बनी हुई है।

कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा प्रदत्त संरक्षण के आधार पर एक वैधानिक किरायेदार के रूप में परिसर को संपत्ति नहीं माना जा सकता है। धारा 22 [2018] 14 एस. सी. आर. की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए कंपनी का।

अधिनियम और उस कारण से भी धारा 22 (1) के प्रावधान

द्वारा शुरू की गई बेदखली कार्यवाही की ओर आकर्षित नहीं थे

अपीलार्थी-कंपनी के विरुद्ध उत्तरदाता। के प्रावधान इसलिए धारा 22 (1) उक्त व्यक्ति के अभियोजन पर रोक नहीं लगाती है।

उत्तरदाताओं द्वारा कार्यवाही और सितंबर का आदेश

30 , 1989 बारहवें अतिरिक्त लघु कारण न्यायाधीश द्वारा पारित,

बैंगलोर ने बेदखली याचिका की अनुमति दी है, ऐसा नहीं माना जा सकता है धारा 22 (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में पारित किया गया

अधिनियम। इसलिए, 1991 की सिविल अपील संख्या 2553 भी विफल हो जाती है और

बर्खास्त किए जाने योग्य "।

रिपोर्ट किए गए निर्णय के इस भाग में जिस मुद्दे की जांच की गई है, वह है -

कर्नाटक किराया नियंत्रण अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का संदर्भ

किसी वैधानिक किरायेदार के असाइनमेंट और ब्याज के हस्तांतरण के खिलाफ पूर्ण निषेध और विशेष रूप से, कानूनी कार्यवाही के निलंबन आदि के संबंध में बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 22 का तात्पर्य। वर्तमान मामले में, यह वैधानिक किरायेदार द्वारा एक असाइनमेंट या ब्याज का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि अनैच्छिक हस्तांतरण और अधिकार, शीर्षक और हित के निहित होने का मामला है।

संसद द्वारा बनाए गए कानून के संचालन द्वारा केंद्र सरकार में वाद परिसर के संबंध में वैधानिक किरायेदार। 1995 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) को पूर्वव्यापी रूप से शामिल करने का उद्देश्य है:

क्या बात है?

अपीलार्थी द्वारा अर्जित स्थिति-एन. टी. सी. वाद संपत्ति या उसके संबंध में प्राप्त किए जाने वाले अधिकारों के आधार को हटा दें। जब तक 1995 के अधिनियम या वैधीकरण अधिनियम 2014 के संशोधित प्रावधान कानून के संचालन द्वारा लागू होते हैं, तब तक एक वैधानिक किरायेदार के रूप में पोद्दार मिलों का हित केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाता है और पूरी तरह से निहित होता है और

इसमें निहित रहता है। इस निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति का सहवर्ती यह है कि न्यास इसकी तलाश कर सकता था और उसे करना चाहिए।

भारत संघ को वाद संपत्ति से बेदखल करना, यदि वह ऐसा करने का इरादा रखता है, तो नगरपालिका किराया विधान में विहित तरीके के तहत और उसके तहत अनुज्ञेय आधारों पर, जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू होता है।

47. रिलायंस को तब अनुच्छेद संख्या में प्रदर्शनी पर रखा गया था।

14 भूलचंद में 18 और एक अन्य बनाम के पी सी निवेश और एक अन्य। न्यायालय ने उस मामले की तथ्यात्मक स्थिति और पैराग्राफ 14 से 16 में वकील की दलीलों को नोट किया और फिर आगे बढ़ा। पैराग्राफ 17 और 18 में इसी पर विचार करने के लिए, जो निम्नानुसार है:

(1991) 1 एस. सी. सी. 343 भारत बनाम

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

" 17. दामादीलाल मामले में और इसी तरह के अन्य मामलों में निर्णय मुख्य रूप से मृत किरायेदार के कानूनी प्रतिनिधियों के परिसर में वंशानुगत हित के सवाल से संबंधित था, जो वैधानिक किरायेदार के रूप में व्यवसाय में थे। यह इंगित करते हुए कि अंग्रेजी किराया अधिनियमों और भारतीय अधिनियमों के तहत वैधानिक किरायेदारी की अवधारणा

जिस कानून के साथ हमारा संबंध है, वह विभिन्न आधारों पर आधारित है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सांविधिक किरायेदार का परिसर में वंशानुगत हित था जो केवल एक व्यक्तिगत हित नहीं था, बल्कि एक संविदात्मक किरायेदार की तरह संपत्ति में हित था। इस निष्कर्ष पर, वैधानिक के कानूनी प्रतिनिधियों का अधिकार

कब्जा की रक्षा करने और बेदखली आदेश के खिलाफ अपील पर मुकदमा चलाने के लिए किरायेदार को बरकरार रखा गया था। दामादीलाल मामले में निर्णय के लिए मुख्य प्रश्न वैधानिक किरायेदारी की वंशानुगत प्रकृति थी और यह इस संदर्भ में था कि एक वैधानिक किरायेदारी के नियमों और शर्तों को संविदात्मक किरायेदारी के समान माना गया था।

एक वैधानिक किरायेदार का उप-किरायेदारी बनाने का अधिकार सांविधिक किरायेदारी के साथ संविदात्मक किरायेदारी का प्रतिस्थापन। इसलिए, दमदिलाल मामले में की गई टिप्पणियों और दिए गए निर्णय का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि एक सांविधिक किरायेदार को संविदात्मक किरायेदारी की समाप्ति के बाद सांविधिक किरायेदारी के निर्वाह के दौरान एक उप-किरायेदारी बनाने का अधिकार है, जब किराया अधिनियम बेदखल करने के खिलाफ समान संरक्षण देते हैं।

एक या अधिक निर्दिष्ट आधारों को छोड़कर किरायेदार। जाहिर है, वैधानिक किरायेदार को संरक्षण और किरायेदार के उत्तराधिकारियों को बेदखली के खिलाफ समान सुरक्षा प्रदान करने वाली वैधानिक किरायेदारी की वंशानुगत प्रकृति के लिए एक उप-किरायेदार को शामिल करने के अधिकार को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है जो किरायेदारी के आनंद के लिए आवश्यक नहीं है और किराया अधिनियमों द्वारा दिए गए बेदखली के खिलाफ संरक्षण। संविदात्मक किरायेदारी की अवधि से आगे उप-किराए के लिए मकान मालिक की लिखित सहमति का अनुमान लगाने या बढ़ाने के लिए कोई तर्क नहीं है, जिसके लिए केवल यह दिया गया है। बाद के निर्णयों के लिए एक ही पंक्ति में अलग से चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन सभी में एक ही अंतर है।

18. एक निर्णय जिसमें विशिष्ट उल्लेख की आवश्यकता होती है और जाहिर है

वर्तमान मामले के तथ्यों पर निकटतम महाबीर प्रसाद वर्मा बनाम है। सुरिंदर कौर। उस मामले में, संविदात्मक किरायेदारी 1 अप्रैल, 1974 से 30 अप्रैल, 1974 तक एक महीने की अवधि के लिए थी, जिसमें मकान मालिक की उप-किराए के लिए सहमति थी। किरायेदार ने [2018] 14 एस. सी. आर. पर कब्जा करना जारी रखा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30 अप्रैल, 1974 को संविदात्मक किरायेदारी की समाप्ति के बाद भी परिसर और उसमें एक उप-किरायेदार को शामिल किया गया। मकान मालिक ने परिसर के गैरकानूनी उप-पट्टे के आधार पर किरायेदार को बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर किया जो प्रासंगिक किराया अधिनियम के तहत बेदखली का आधार था। उप-किरायेदार को शामिल करने के समय के बारे में कुछ विवाद था, किरायेदार द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि उप-किरायेदार को शामिल करना अप्रैल 1974 के महीने में संविदात्मक किरायेदारी के निर्वाह के दौरान था, जबकि मकान मालिक ने तर्क दिया कि उप-किरायेदार अप्रैल 1974 के महीने के बाद था। यह एक तथ्य के रूप में पाया गया कि किरायेदार ने अप्रैल 1974 के महीने में जमा किया था जब मकान मालिक की लिखित सहमति बनी हुई थी और मई में इसके बाद नहीं, जैसा कि मकान मालिक ने दावा किया था। उसमें निर्णय के लिए प्रश्न का सार इस प्रकार बताया गया था: (एस. सी. सी पी. 269, पैरा 24)

" इसलिए, सवाल का सार यह है कि क्या किरायेदार द्वारा मकान मालिक की लिखित सहमति के साथ उप-किराए पर देने के दौरान

किरायेदारी की मुद्रा किरायेदारी के निर्धारण पर गैरकानूनी और अवैध हो जाती है और अधिनियम की धारा 13 (2) (ii) (a) के अर्थ के भीतर बेदखली के लिए एक आधार प्रस्तुत करती है।

इस निष्कर्ष पर कि उप-किरायेदार को मकान मालिक द्वारा दिए गए उप-किराए के लिए लिखित सहमति के आधार पर संविदात्मक किरायेदारी की अवधि के दौरान शामिल किया गया था, उप-किराएदारी केवल इसलिए गैरकानूनी नहीं हो गई क्योंकि किरायेदार की संविदात्मक किरायेदारी थी।

यह समाप्त हो गया और एक वैधानिक किरायेदार के रूप में किरायेदार को बेदखली के खिलाफ संरक्षण भी क़ानून द्वारा मान्यता प्राप्त वैध उप किरायेदार के लाभ के लिए सुनिश्चित किया गया। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: (एस. सी. सी पी. 271 , पैरा 26 और 27)

" उप-कानूनी रूप से लिखित सहमति के साथ किया जाना

मकान मालिक केवल इस आधार पर गैरकानूनी नहीं बन जाता है कि संविदात्मक किरायेदारी समाप्त हो गई है। बेदखल करने के लिए एक वैध आधार बनाने के लिए उप-पट्टा उस समय मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना होना चाहिए जब किरायेदार उप-किरायेदार को कोई हिस्सा देता है।

एक उप-किरायेदार द्वारा लिखित सहमति के साथ किराए पर देना

मकान मालिक की अवधि समाप्त होने पर अवैध नहीं हो जाता है किरायेदार की संविदात्मक किरायेदारी, जब तक कि मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना किरायेदार द्वारा कोई नया उप-किराया न हो। केवल कानूनी रूप से शामिल किए गए उप-किरायेदार के कब्जे में बने रहना किसी भी नए या आगे के भारत के संबंध में नहीं है।

नरेशकुमार बद्रीकुमार जगद

किरायेदार ने लिखित सहमति के बिना किसी भी हिस्से को खाली नहीं किया है। अधिनियम के प्रारंभ के बाद मकान मालकिन का। बस।

कानूनी रूप से शामिल उप-किरायेदारों द्वारा कब्जा जारी रखना

मकान मालकिन की लिखित सहमति के साथ किरायेदार द्वारा

किराए के नोट में मकान मालकिन के लिए कोई आधार नहीं है

किरायेदार के रूप में किराएदार को किराए पर देने के आधार पर बेदखल करना।

अधिनियम के प्रारंभ के बाद कोई उपखंड नहीं है

मकान मालकिन की लिखित सहमति के बिना भाग।

(जोर दिया गया)

बार में उद्धृत सभी निर्णयों में से, यह निर्णय, निश्चित रूप से है,

वर्तमान मामले के तथ्यों पर केवल इस अंतर के साथ कि वर्तमान मामले में उप-पट्टा संविदात्मक किरायेदारी की समाप्ति के बाद और अधिनियम के प्रारंभ के बाद मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना उप-पट्टा देने पर प्रतिबंध था।

जब यह 1 अप्रैल, 1948 को बनाया गया था, जबकि महाबीर प्रसाद मामले में उप-पट्टा अनुबंध की अवधि के दौरान था। किरायेदारी जब उप-किराए के लिए मकान मालिक की स्पष्ट लिखित सहमति उपलब्ध थी। हालाँकि, आवेदन का सिद्धांत एक ही है और परिणाम में केवल अंतर है क्योंकि महाबीर प्रसाद के मामले में मकान मालिक की लिखित सहमति से संविदात्मक किरायेदारी के निर्वाह के दौरान उप-पट्टा दिया गया था। यह महत्वपूर्ण है कि महाबीर प्रसाद मामले में फैसला ए. एन. सेन, जे. द्वारा दिया गया था, जिन्होंने ज्ञान देवी मामले में राय भी लिखी थी, जिस पर डॉ. चितले ने दमदिलाल मामले के अनुरूप निर्णयों में से एक के रूप में भरोसा किया था। यह स्पष्ट है कि ए. एन. सेन, जे., जिन्होंने महाबीर प्रसाद मामले के साथ-साथ ज्ञान देवी मामले में पीठ की राय लिखी थी, ने दमदिलाल मामले से शुरू होने वाले पहले के फैसलों का डॉ. चितले द्वारा पढ़े गए तरीके से अर्थ नहीं लगाया। यदि डॉ. चितले इस मुद्दे पर अपनी दलील में सही हैं, तो महाबीर प्रसाद मामले में उप-पट्टा पर पूरा जोर अप्रैल 1974 में संविदात्मक किरायेदारी की अवधि के दौरान दिया गया था और उसके बाद उप-पट्टा की वैधता के बारे में निर्णायक नहीं होना गलत था और एक व्यर्थ अभ्यास था। हमारी राय में ऐसा नहीं था और सही आधार यह है कि मकान मालिक की लिखित सहमति की अवधि के दौरान उप-किराए पर देने के लिए

संविदात्मक किरायेदारी को संविदात्मक किरायेदारी की समाप्ति के बाद उसकी सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुत करना महाबीर प्रसाद मामले में

स्पष्ट निर्णय के विपरीत है, जो हमारी राय में, किसी भी तरह से [2018] 14 एस. सी. आर. के विपरीत नहीं है।

दामादीलाल मामले से शुरू होने वाले निर्णयों के लिए, वे टिप्पणियां जो वैधानिक किरायेदारी की विरासत के संदर्भ में हैं।

वास्तव में, डॉ. चितले ने यह तर्क भी नहीं दिया कि महाबीर प्रसाद मामले में निर्णय दमदिलाल मामले और उनके बाद के अन्य निर्णयों के विपरीत है। यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थियों का तर्क असमर्थनीय है।

हम यह समझने में विफल हैं कि रिपोर्ट किए गए निर्णय में समझाया गया सिद्धांत उत्तरदाताओं (ट्रस्ट) के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद कैसे होगा। के रूप में

पहले से ही उल्लेख किया गया है कि यह सांविधिक किरायेदार (पोदार मिल्स लिमिटेड) द्वारा उपखंडन का मामला नहीं है, बल्कि इसके बजाय अनैच्छिक हस्तांतरण और कानून के संचालन द्वारा केंद्र सरकार में मुकदमा संपत्ति के संबंध में सांविधिक या संरक्षित किरायेदार के अधिकारों और हितों को निहित करने का मामला है। किसी भी मामले में, यदि न्यास कानूनी किरायेदार के खिलाफ जमीनी स्तर पर आगे बढ़ने का इरादा रखता है

गैरकानूनी सबलेटिंग या ऐसे अन्य आधार के मामले में, यह भारत संघ के खिलाफ उस मामले में सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किराया न्यायालय के समक्ष बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होगा। वर्तमान मामले में, बेदखली के लिए विषय मुकदमा केवल एन. टी. सी. के खिलाफ शुरू किया गया है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि मुकदमा दायर करने की तारीख तक भारत संघ, सांविधिक किरायेदार के खिलाफ विषय मुकदमा दायर नहीं किया गया है; और सांविधिक किरायेदार को बेदखल करने की मांग के लिए किराया न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान नहीं करते हुए, दीवानी अदालत द्वारा पारित डिक्री भारत संघ के खिलाफ अप्रवर्तनीय है और, किसी भी मामले में, कानूनी कल्पना के कारण अप्रवर्तनीय है।

48. प्रत्यर्थियों (न्यास) को यह इंगित करने में उचित ठहराया जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री को वैधीकरण अधिनियम 2014 द्वारा रद्द नहीं किया गया है। हालाँकि, उक्त डिक्री वास्तविक किरायेदार के खिलाफ नहीं है जिसमें वैधानिक किरायेदार के अधिकार निहित थे और अभी भी निहित हैं। उस अधिकार को केवल किराया कानून में निर्धारित व्यवस्था का सहारा लेकर ही तोड़ा जा सकता था, क्योंकि संबंधित किराया अधिनियम सूट संपत्ति पर लागू होता रहा-जिसके परिणामस्वरूप

केंद्र सरकार में अधिकार और हित।

49. यह हमें उत्तरदाताओं के अगले तर्क पर ले जाता है कि 1995 के अधिनियम में अंत:स्थापित धारा 39 संभावित रूप से काम करती है और 5 सितंबर, 2011 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी। दूसरा, उक्त प्रावधान केवल मौजूदा पट्टाधारिता अधिकारों पर लागू होता है। अंतिम तर्क को पहले लेते हुए, उसी के आधार पर अस्वीकार करने की आवश्यकता है

यह विचार कि "पट्टाधारक अधिकार" या "पट्टाधारक संपत्ति" अभिव्यक्ति में भारत के लागू होने वाले संघ v के अनुसार किसी वैधानिक या संरक्षित किरायेदार के कब्जे में किरायेदारी अधिकार या किरायेदार संपत्ति शामिल होगी।

नरेश्कुमार बद्रीकुमार जगद

संबंधित समय पर नगरपालिका किराया कानून। चाहे जो भी हो, धारा 39 एक अबाधित खंड के साथ खुलती है और यह अधिक स्पष्ट करती है कि संशोधन अधिनियम, 2014 के प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए प्रभावी होंगे और हमेशा प्रभावी माने जाएंगे जैसे कि अधिनियम के प्रावधान उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित किए गए हैं, जो हर भौतिक समय पर लागू थे। यह तब भविष्यवाणी करता है कि किसी भी अदालत में एन. टी. सी. द्वारा दायर किसी भी वचन के बावजूद किसी भी डिक्री या आदेश या निर्देश को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में कोई मुकदमा या "अन्य कार्यवाही" नहीं रखी जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। यह देखते हुए कि धारा 3 में संशोधन किया गया है।

मौलिक रूप से इसके चरित्र को पूर्वव्यापी रूप से बदलना या बदलना। इस निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेदों के खाली अवलोकन पर, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जल स्तर बढ़ाने के लिए बांध की सुरक्षा के संबंध में दोनों राज्यों के बीच विवादित तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में निर्णय दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि इस तरह का निर्णय पक्षों के लिए बाध्यकारी होना चाहिए और

निर्णय के अनुसार लागू करने योग्य एक सादा और सरल निर्णय है 1 0 (2014) 12 एससीसी 696 [2018] 14 एस. सी. आर.

उस तथ्य पर जिसे विधायी निर्णय द्वारा बदला नहीं जा सकता है। उस मामले में, संशोधित अधिनियम की वैधता को जारी किया गया था। हालाँकि, वर्तमान मामले में, हमें वैधीकरण अधिनियम 2014 के प्रावधानों की वैधता की जांच करने के लिए नहीं कहा गया है। क्या ऐसा विधान वैध है या विधायी क्षमता से अधिक है, इसकी उचित कार्यवाही में जांच की जा सकती है। प्रत्यर्थियों (न्यास) के लिए यह खुला है कि वे वैधता अधिनियम 2014 की वैधता को चुनौती दे सकते हैं, यदि वे चाहें। इसी कारण से मदन मोहन पाठक और ओआरएस में निर्णय लिए गए। बनाम भारत संघ (यू. ओ. आई.)

और Ors.[11] (पैराग्राफ संख्या में। 9, 20, 21 और 31) और श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्य। बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका और Ors.[1]2, उत्तरदाताओं के लिए कोई लाभ नहीं होगा।

51. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि

यह इस न्यायालय के निर्देश का पालन न करने के लिए अवमानना कार्रवाई करने का मामला नहीं है क्योंकि ऐसा निर्देश जारी करने का आधार कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं है। इसी तरह, यह तथ्य कि एन. टी. सी. ने सूट संपत्ति को खाली करने का आश्वासन देते हुए भारत संघ की मंजूरी से पहले ही दो उपक्रम दायर कर दिए हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा और इसे लागू नहीं किया जा सकता है। कानून के संचालन द्वारा। इसके अलावा, संबंधित न्यायालय द्वारा प्रासंगिक समय पर वैध रूप से पारित डिक्री का कोई लाभ नहीं होगा और न ही इसे भारत संघ के खिलाफ लागू किया जा सकता है, जिसमें संरक्षित या वैधानिक किरायेदार के अधिकार 1 अप्रैल से हस्तांतरित और निहित थे।

1994. ट्रस्ट को वास्तविक किरायेदार, केंद्र सरकार को बेदखल करने के लिए लागू किराया कानून के प्रावधानों के तहत उचित उपाय करना पड़ सकता है। उन कार्यवाहियों का निर्णय उन कार्यवाहियों में किए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना, जो समीक्षा के तहत निर्णय में समाप्त हुए हैं, कानून के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर करना होगा।

52. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अवमानना कार्यवाही या उस मामले के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन जारी रखने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

एनटीसी द्वारा दायर किया गया। परिणामस्वरूप, टी. सुधाकर प्रसाद बनाम सरकार में इस न्यायालय का कथन। ए. पी. और Ors.[1]3, (पैराग्राफ संख्या। 9 से 22), फर्म गणपत राम राजकुमार बनाम। कालू राम और ओआरएस। 14 1 4 (पैराग्राफ संख्या। 5

15

1 (1978) 2 एससीसी 50 1 2 (1969) 2 एस. सी. सी 283

13 (2001) 1 एस. सी. सी. 516 1 4 (1989) सप. (2) एससीसी 418

1 5 (1990) 1 एस. सी. सी. 259 भारत संघ बनाम।

53. उत्तरदाता भारत संघ द्वारा समीक्षा याचिका की आड़ में एन. टी. सी. के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही दिखाने का गंभीर रूप से विरोध करते हैं। क्योंकि, समीक्षा याचिका पर समय की पाबंदी है क्योंकि इस न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में दो क्रमिक उपक्रम दायर करने के लिए एन. टी. सी. की मंजूरी के अनुसार भारत संघ के संचालन के साथ 837 दिनों की देरी हुई है। आपत्ति पहली बार में आकर्षक प्रतीत होती है, लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू की गई कानूनी कल्पना और केंद्र सरकार में वाद संपत्ति के संबंध में वैधानिक किरायेदार के अधिकारों को निहित करने की घटना को पूर्वव्यापी प्रभाव देती है और एनटीसी द्वारा दिए गए वचन सहित डिक्री और आदेश को अप्रवर्तनीय भी बनाती है। नतीजतन, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य के कार्यालय के मामले में निर्णय। बनाम। लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और Ors.[1] (अनुच्छेद Nos.27 से 29), हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।

54. उपरोक्त पर विचार करते हुए, हम पक्षों द्वारा अनुरोध किए गए अन्य प्रस्तुतियों पर विस्तार करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि इसका उस निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस पर हम पहले ही पहुंच चुके हैं।

55. संक्षेप में, हम मानते हैं कि 1995 के अधिनियम की संशोधित धारा 3 के अनुसार 1 अप्रैल, 1994 से कानून के संचालन द्वारा वैधानिक या

मुकदमे की संपत्ति के संबंध में पोद्दार मिल्स लिमिटेड के संरक्षित किरायेदारी अधिकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित और निहित किए गए थे और यह इसमें निहित है और एनटीसी द्वारा दिए गए वचन सहित एनटीसी के खिलाफ डिक्री को अप्रवर्तनीय बना दिया गया है। कानूनी कल्पना। नतीजतन, न्यास, मकान मालिक होने के नाते, केंद्र सरकार (भारत संघ) के खिलाफ समाधान का सहारा लेने के लिए बाध्य है, ताकि संबंधित किराया विधान में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार, सूट संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त किया जा सके, यदि वह ऐसा चाहता है। प्रत्यर्थियों (न्यास) के लिए यह खुला है कि वे वैधता अधिनियम 2014 की वैधता को चुनौती दे सकते हैं, यदि वे चाहें।

56. हम ट्रस्ट की वैधता को चुनौती देने की स्थिति में अवमानना कार्रवाई को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रस्ट को स्वतंत्रता देना उचित समझते हैं।

वैधीकरण अधिनियम 2014 के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है और जिसके परिणामस्वरूप उस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि, यह सामान्य आधार है कि उस अधिनियम को चुनौती 2015 की रिट याचिका No.526 (बैरामजी जीजीभॉय प्राइवेट लिमिटेड) में किसी तीसरे पक्ष के कहने पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। लिमिटेड और ओआरएस। बनाम भारत संघ और

ओआरएस.) यदि वह चुनौती सफल हो जाती है, तो वह स्थिति जो आने से पहले थी

1 6 (2012) 3 एससीसी 563 [2018] 14 एस. सी. आर.

वैधीकरण अधिनियम 2014 के लागू होने पर इसे पुनर्जीवित किया जाएगा और फिर 2011 की सिविल अपील में 5 सितंबर, 2011 के इस न्यायालय के फैसले को एन. टी. सी. के खिलाफ तार्किक अंत तक ले जाया जा सकता है। इसी कारण से, एन. टी. सी. द्वारा दायर समय बढ़ाने के लिए आवेदन जारी रखना आवश्यक नहीं है।

57. तदनुसार, हम निम्नलिखित कार्यवाहियों का निपटारा करते हैं।

शर्तें:

(i) पुनरीक्षण याचिका दायर करने में देरी को माफ करने के लिए आवेदन है

अनुमति दी गई;

((ii) पुनरीक्षण याचिका में अतिरिक्त आधारों का आग्रह करने के लिए आवेदन

अनुमति है;

((ग) पुनरीक्षण याचिका का प्रतिवादियों को स्वतंत्रता के साथ निपटारा किया जाता है।

(न्यास) कानून के अनुसार अन्य उपयुक्त कानूनी उपाय करने के लिए;

((iv) अवमानना याचिका का निपटारा स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

उपरोक्त उत्तरदाताओं;

(v) एन. टी. सी. द्वारा दायर निर्देश के लिए आवेदन का भी निपटारा किया जाता है।

उपरोक्त शब्दों में;

(vi) सभी आवेदनों का उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटान किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिकाओं और आवेदनों का निपटारा।

अंकित ज्ञान